

अध्याय– II

वाणिज्य–कर

कार्यपालक सारांश

इस अध्याय के हमारे मुख्याकर्षण

इस अध्याय में हमने वाणिज्य-कर विभाग के कार्यालयों के अभिलेखों की वर्ष 2012-13 में नमूना जाँच के दौरान पाए गए अवलोकनों से चयनित आरोपण नहीं किए जाने/कम आरोपण, वसूली नहीं किए जाने/कम वसूली, अवनिर्धारण आदि से संबंधित अर्थदण्ड एवं ब्याज सहित ₹ 224.67 करोड़ से समाहित कुछ दृष्टांतस्वरूप मामलों को रखा है, जहाँ हमने पाया कि अधिनियमों/नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया था।

यह चिन्ता का विषय है कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में पिछले कई वर्षों से निरंतर हम इन चूकों को इंगित करते रहे हैं परन्तु हमारे द्वारा इस तरह की गलतियों को इंगित किए जाने तक विभाग ने कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की।

हमारा ध्यान इस पर भी है कि यद्यपि हमें उपलब्ध कराए गए अभिलेखों से इस तरह के चूक स्पष्ट दृष्टिगोचर थे, कर निर्धारण प्राधिकारी इन गलतियों को पता लगाने में असमर्थ रहे।

प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष 2011-12 की तुलना में वर्ष 2012-13 में राज्य के कुल कर प्राप्तियों में बिक्री, व्यापार आदि पर कर से प्राप्तियों के योगदान की प्रतिशतता में अल्प हास हुई जिसे विभाग द्वारा देखे जाने की आवश्यकता है।

आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं किया जाना

वर्ष 2012-13 के दौरान वाणिज्य-कर विभाग ने आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु एक भी ईकाई का चयन नहीं किया। यह आंतरिक नियंत्रण में कमजोरी को दर्शाता है, जिसके कारण कर निर्धारण प्राधिकारियों से भूल हुई जिसे हमारे लेखापरीक्षा किए जाने तक पता नहीं लगाया जा सका एवं तदन्तर राजस्व का काफी रिसाव हुआ।

वर्ष 2012-13 में हमारे द्वारा किए गए लेखापरीक्षा का प्रभाव

वर्ष 2012-13 में वाणिज्य-कर से संबंधित 43 ईकाइयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान हम लोगों ने ₹ 688.93 करोड़ से सन्निहित 1,346 मामलों में कर के अवनिर्धारण एवं अन्य अनियमितताओं को पाया। विभाग ने 116 मामलों में सन्निहित ₹ 31.22 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया, इनमें से 16 मामलों में सन्निहित ₹ 4.07 करोड़ वर्ष 2012-13 में तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए थे। इस अवधि के दौरान 17 मामलों में ₹ 19.13 लाख की वसूली की गई।

हमारा निष्कर्ष

विभाग को आंतरिक नियंत्रण तंत्र को उन्नत करने की आवश्यकता है, ताकि तंत्र में कमजोरियों का पता लगे तथा हमारे द्वारा बताये गए चूकों को भविष्य में टाला जाए।

कम-से-कम स्वीकृत मामलों में सन्निहित राशि की वसूली हेतु उचित कदम उठाए जाने की भी आवश्यकता है।

अध्याय—II : वाणिज्य—कर

2.1 कर प्रशासन

राज्य में वाणिज्य—कर¹ का आरोपण एवं संग्रहण, निम्नलिखित अधिनियमों एवं उसके तहत बने नियमों के प्रावधानों द्वारा शासित है:

- केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956;
- बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005;
- बिहार स्थानीय क्षेत्रों में मालों के प्रवेश पर कर (प्रवेश कर) अधिनियम, 1993;
- बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948;
- बिहार होटलों में विलासिता पर करारोपण अधिनियम, 1988;
- बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948;
- बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका और रोजगार पर कर अधिनियम, 2011 एवं
- बिहार विज्ञापन पर कर अधिनियम, 2007;

यह वाणिज्य—कर विभाग द्वारा प्रशासित है, जिसके प्रमुख वाणिज्य—कर आयुक्त होते हैं। उनके कार्य सम्पादन में मुख्यालय स्तर पर अन्वेषण ब्यूरो स्कंध सहित पाँच अपर आयुक्त, तीन वाणिज्य—कर संयुक्त आयुक्त, 10 वाणिज्य—कर उपायुक्त/वाणिज्य—कर सहायक आयुक्त एवं पाँच वाणिज्य—कर पदाधिकारी सहयोग करते हैं। क्षेत्र स्तर पर राज्य को नौ² प्रशासनिक प्रमंडलों, सात³ अपीलीय प्रमंडलों एवं चार⁴ लेखापरीक्षा प्रमंडलों में विभाजित किया गया है तथा प्रत्येक के प्रधान, वाणिज्य—कर संयुक्त आयुक्त होते हैं। नौ प्रशासनिक प्रमंडलों को पुनः 49 अंचलों में विभाजित किया गया है जिसके प्रधान वाणिज्य—कर उपायुक्त/वाणिज्य—कर सहायक आयुक्त होते हैं जिनकी सहायता वाणिज्य—कर पदाधिकारी करते हैं। अंचल, विभाग के कार्यकलाप का मूलभूत केन्द्र है।

2.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

2.2.1 बिक्री, व्यापार आदि पर कर

वर्ष 2008—09 से 2012—13 के दौरान बजट आकलन तथा बिक्री, व्यापार आदि पर कर से प्राप्त वास्तविक प्राप्तियों के साथ—साथ उसी अवधि के दौरान कुल कर प्राप्तियों के बीच भिन्नता नीचे तालिका में दर्शाई गई है:

¹ वाणिज्य—कर में बिक्री, व्यापार आदि पर कर, वस्तुओं एवं यात्रियों पर कर, विद्युत पर कर और शुल्क, आय एवं व्यय पर अन्य कर—पेशा, व्यापार आजीविका एवं रोजगार पर कर तथा वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क शामिल है।

² भागलपुर, केन्द्रीय, दरभंगा, मगध, पटना पूर्वी, पटना पश्चिमी, पूर्णिया, सारण एवं तिरहुत।

³ भागलपुर, केन्द्रीय, दरभंगा, मगध, पटना, पूर्णिया एवं तिरहुत।

⁴ भागलपुर, मगध, पटना एवं तिरहुत।

तालिका-2.1

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | बजट आकलन | वास्तविक प्राप्तियाँ | भिन्नता वृद्धि (+)/ ह्रास (-) | भिन्नता की प्रतिशतता | राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ | कुल कर प्राप्तियों (स्तम्भ-6) की तुलना में बिक्री, व्यापार आदि पर कर से वास्तविक प्राप्तियों (स्तम्भ-3) की प्रतिशतता |
|---------|----------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2008-09 | 2,937.72 | 3,016.47 | (+) 78.75 | (+) 2.68 | 6,172.74 | 48.87 |
| 2009-10 | 3,948.03 | 3,839.29 | (-) 108.74 | (-) 2.75 | 8,089.67 | 47.46 |
| 2010-11 | 5,627.69 | 4,557.18 | (-) 1,070.51 | (-) 19.02 | 9,869.85 | 46.17 |
| 2011-12 | 6,508.00 | 7,476.36 | (+) 968.36 | (+) 14.88 | 12,612.10 | 59.28 |
| 2012-13 | 8,071.00 | 8,670.79 | (+) 599.79 | (+) 7.43 | 16,253.08 | 53.35 |

(श्रोत: राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियाँ (विस्तृत); वित्त लेखे, बिहार सरकार)

उपर्युक्त तालिका यह दर्शाता है कि वर्ष 2011-12 की तुलना में वर्ष 2012-13 में राज्य के कुल कर प्राप्तियों में बिक्री, व्यापार आदि पर कर से प्राप्तियों के योगदान की प्रतिशतता में अल्प ह्रास हुई जिसे विभाग द्वारा देखे जाने की आवश्यकता है।

वर्ष 2012-13 के दौरान बजट आकलन तथा वास्तविक प्राप्तियों के बीच भिन्नता का कारण विभाग द्वारा तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पादों के कर का दर 13.5 प्रतिशत से 20 प्रतिशत किये जाने तथा स्रोत पर कटौती की दर को चार प्रतिशत से बढ़ाकर पाँच प्रतिशत किये जाने को ठहराया गया।

2.2.2 प्रवेश कर

वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान बजट आकलन तथा प्रवेश कर से प्राप्त वास्तविक प्राप्तियों के साथ-साथ उसी अवधि के दौरान कुल कर प्राप्तियों के बीच भिन्नता नीचे तालिका में दर्शाई गई है:

तालिका-2.2

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | बजट आकलन | वास्तविक प्राप्तियाँ | भिन्नता वृद्धि (+)/ ह्रास (-) | भिन्नता की प्रतिशतता | राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ | कुल कर प्राप्तियों (स्तम्भ-6) की तुलना में वास्तविक प्राप्तियाँ (स्तम्भ-3) की प्रतिशतता |
|---------|----------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2008-09 | 825.00 | 1,279.41 | (+) 454.41 | (+) 55.08 | 6,172.74 | 20.73 |
| 2009-10 | 1,270.00 | 1,613.16 | (+) 343.16 | (+) 27.02 | 8,089.67 | 19.94 |
| 2010-11 | 1,623.76 | 2,006.32 | (+) 382.56 | (+) 23.56 | 9,869.85 | 20.33 |
| 2011-12 | 1,940.00 | 828.30 | (-) 1,111.70 | (-) 57.30 | 12,612.10 | 6.57 |
| 2012-13 | 2,800.00 | 1,932.12 | (-) 867.88 | (-) 31.00 | 16,253.08 | 11.89 |

(श्रोत: राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियाँ (विस्तृत); वित्त लेखे, बिहार सरकार)

उपर्युक्त तालिका दर्शाता है कि वर्ष 2012-13 में बजट आकलन की तुलना में वास्तविक प्राप्तियों में काफी अंतर था, जिसे विभाग द्वारा देखे जाने की आवश्यकता है। यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान भिन्नता की प्रतिशतता (-) 57.30 और (+) 55.08 प्रतिशत के बीच थी। कुल कर राजस्व में प्रवेश कर की प्रतिशतता जो वर्ष 2008-09 से 2010-11 के दौरान लगभग 20 प्रतिशत थी, वर्ष 2011-12 में 6.57 प्रतिशत तथा वर्ष 2012-13 में 11.89 प्रतिशत तक कम हो गई।

2.3 राजस्व के बकायों का विश्लेषण

31 मार्च 2013 को वाणिज्य-कर⁵ से संबंधित राजस्व के बकाये ₹ 1,071.77 करोड़ थी, जिसमें से ₹ 447.34 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाये थे। निम्न तालिका वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान राजस्व के बकायों की स्थिति को दर्शाता है:

तालिका-2.3

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | बकायों का प्रारम्भिक शेष | वर्ष के दौरान शामिल राशि | वर्ष के दौरान संग्रहित राशि | बकायों का अंत शेष |
|---------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 2008-09 | 963.83 | 212.08 | 168.66 | 1,007.25 |
| 2009-10 | 1,007.25 | 463.68 | 112.15 | 1,358.78 |
| 2010-11 | 1,358.78 | 129.07 | 546.24 | 941.61 |
| 2011-12 | 941.61 | 532.99 | 258.18 | 1,216.42 |
| 2012-13 | 1,216.42 | 800.19 | 944.84 | 1,071.77 |

(स्रोत: विभाग के द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाएं)

उपर्युक्त तालिका यह दर्शाता है कि वर्ष 2011-12 की तुलना में 2012-13 के दौरान वाणिज्य-कर से संबंधित राजस्व के बकायों के संग्रहण में काफी वृद्धि (265.96 प्रतिशत) हुई। विभाग को आने वाले वर्षों में भी राजस्व की वसूली में अपने प्रयास को कायम रखने की आवश्यकता है।

2.4 संग्रहण की लागत

वाणिज्य-कर⁶ से संबंधित राजस्व प्राप्तियों का सकल संग्रहण, उस संग्रहण पर किया गया व्यय तथा वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान सकल संग्रहण पर ऐसे व्यय की प्रतिशतता के साथ-साथ संबंधित विगत वर्षों के लिए सकल संग्रहण पर व्यय से संबंधित अखिल भारतीय औसत की प्रतिशतता नीचे दर्शाई गई है:

⁵ वाणिज्य-कर विभाग के बकायों में बिक्री, व्यापार आदि पर कर, वस्तुओं एवं यात्रियों पर कर, विद्युत कर एवं शुल्क तथा वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर शामिल हैं।

⁶ वाणिज्य-कर विभाग द्वारा सकल संग्रहण में बिक्री, व्यापार आदि पर कर, वस्तुओं एवं यात्रियों पर कर, विद्युत कर और शुल्क, आय एवं व्यय पर अन्य कर- पेशा, व्यापार, आजीविका एवं रोजगार पर कर तथा वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क शामिल है।

तालिका-2.4

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | सकल संग्रहण | संग्रहण पर व्यय | सकल संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता | विगत वर्ष के लिए अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता |
|---------|-------------|-----------------|----------------------------------|--|
| 2008-09 | 4,377.92 | 46.67 | 1.07 | 0.83 |
| 2009-10 | 5,541.00 | 48.84 | 0.88 | 0.88 |
| 2010-11 | 6,653.37 | 57.23 | 0.86 | 0.96 |
| 2011-12 | 8,414.43 | 66.17 | 0.79 | 0.75 |
| 2012-13 | 10,771.40 | 78.86 | 0.73 | 0.83 |

(श्रोत: वित्त लेखे, बिहार सरकार)

उपर्युक्त तालिका दर्शाता है कि सिवाय वर्ष 2011-12 के वर्ष 2009-10 एवं 2012-13 के दौरान वाणिज्य-कर से संबंधित राजस्व प्राप्तियों के सकल संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता पूर्ववर्ती वर्षों के अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता के समतुल्य/कम था। सरकार/विभाग को संग्रहण की लागत को आने वाले वर्षों में अखिल भारतीय औसत से नीचे रखना सुनिश्चित करना चाहिए।

2.5 निर्धारिती की विवरणिका

जैसाकि विभाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया, 31 मार्च 2013 को राज्य में निर्बंधित व्यवसायियों की कुल संख्या 2,32,897 थी, जिसमें से 60,037 व्यवसायी करदाता थे। कुल 2,32,897 व्यवसायियों में से 86,113 व्यवसायियों ने रिटर्न दाखिल नहीं किया था जिनके विरुद्ध विभाग द्वारा बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 24(8) के अंतर्गत कार्रवाई की गई है।

2.6 संग्रहण का विश्लेषण

वाणिज्य-कर विभाग द्वारा दिए गए वर्ष 2012-13 की अवधि के दौरान कर निर्धारण/संवीक्षा से पूर्व तथा नियमित कर निर्धारण/संवीक्षा के बाद बिक्री, व्यापार आदि पर कर के कुल संग्रहण का ब्योरा तथा विगत चार वर्षों के तदनुरूपी आँकड़े नीचे दिए गए तालिका में वर्णित है:

तालिका-2.5

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | कर निर्धारण/संवीक्षा के पूर्व संग्रहित राशि | नियमित कर निर्धारण/संवीक्षा के बाद संग्रहित राशि | कर एवं शुल्क के भुगतान में विलम्ब के लिए अर्थदण्ड | वापस की गई राशि | वित्त लेखे के अनुसार निबल संग्रहण | कॉलम 6 से 2 की प्रतिशतता |
|---------|---|--|---|-----------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2008-09 | 3,049.18 | 54.22 | 1.04 | 38.92 | 3,016.47 | 101.08 |
| 2009-10 | 3,793.15 | 50.25 | 1.40 | 19.86 | 3,839.29 | 98.80 |
| 2010-11 | 4,564.98 | 25.81 | 2.24 | 10.80 | 4,557.18 | 100.17 |
| 2011-12 | 5,556.18 | 186.65 | 2.08 | 36.99 | 7,476.36 | 74.32 |
| 2012-13 | 7,181.73 | 282.90 | 9.30 | 129.84 | 8,670.79 | 82.83 |

(श्रोत: वित्त लेखे, बिहार सरकार एवं विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना)

वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान कर निर्धारण/संवीक्षा से पूर्व किए गये संग्रहण की प्रतिशतता, व्यवसायियों द्वारा अधिनियमों/नियमावली के प्रावधानों का स्वतः अनुपालन किए जाने को दर्शाता है।

2.7 आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध की कार्यप्रणाली

आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध, जिसे वित्त (लेखापरीक्षा) कहा जाता है, वित्त विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। विभिन्न कार्यालयों की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रशासनिक विभागों से प्राप्त अधियाचना के आधार पर की जाती है। मुख्य लेखा नियंत्रक अंकेक्षण दल की उपलब्धता पर आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु ईकाइयों का चयन कर सकते हैं। वित्त विभाग ने वर्ष 2012-13 के दौरान वाणिज्य-कर विभाग का आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं किया था। वाणिज्य-कर विभाग में चार लेखापरीक्षा प्रमंडल है, जो वाणिज्य-कर आयुक्त द्वारा चयनित व्यवसायियों द्वारा संधारित लेखाओं के सही होने का पता लगाने के लिए उत्तरदायी है। वर्ष 2012-13 में विभाग ने आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए किसी भी ईकाई का चयन नहीं किया।

2.8 लेखापरीक्षा का प्रभाव

2.8.1 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (2007-08 से 2011-12) की अनुपालन की स्थिति

वर्ष 2007-08 से 2011-12 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में हमने वाणिज्य-कर से प्राप्तियों से संबंधित ₹ 2,740.60 करोड़ से सन्निहित लेखापरीक्षा अवलोकनों को इंगित किया। विभाग/सरकार ने ₹ 976.05 करोड़ से सन्निहित मामलों को स्वीकार किया तथा उसमें से 31 मार्च 2013 तक मात्र ₹ 3.61 करोड़ की राशि वसूल की गई थी, जैसा कि नीचे तालिका में वर्णित है:

तालिका-2.6

(₹ करोड़ में)

| लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष | लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सन्निहित राशि | स्वीकार की गई राशि | वसूल की गई राशि |
|-------------------------------|---|--------------------|-----------------|
| 2007-08 | 153.70 | 105.74 | 0.07 |
| 2008-09 | 619.83 | 614.97 | 0.78 |
| 2009-10 | 841.96 | 62.48 | 0.42 |
| 2010-11 | 863.33 | 134.02 | 2.34 |
| 2011-12 | 261.78 | 58.84 | शून्य |
| कुल | 2,740.60 | 976.05 | 3.61 |

कुल ₹ 976.05 करोड़ से सन्निहित स्वीकृत मामलों के विरुद्ध ₹ 3.61 करोड़ (0.37 प्रतिशत) की नगण्य वसूली सरकारी बकायों की वसूली में सरकार/विभाग की ओर से तत्परता के अभाव को इंगित करता है।

2.8.2 लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों (2007-08 से 2011-12) की अनुपालन की स्थिति

वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान अपने निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से हमने वाणिज्य-कर से संबंधित राजस्व का नहीं/कम आरोपण, नहीं/कम वसूली, अवनिर्धारण, गलत छूट, आवर्त का छिपाव, कर का गलत दर लगाया जाना, गलत संगणना इत्यादि इंगित किए, जिसमें ₹ 4,123.31 करोड़⁷ से सन्निहित 3,997 मामले थे। इनमें से विभाग/सरकार ने ₹ 1,426.52 करोड़ से सन्निहित 1,231 मामलों में लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया जिसमें पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान हमारे द्वारा

⁷ आँकड़ों में बिक्री, व्यापार आदि पर कर, प्रवेश कर तथा मनोरंजन कर से संबंधित आँकड़े शामिल हैं।

इंगित किये गये मामले भी शामिल थे। हालाँकि मात्र ₹ 3.98 करोड़ की वसूली हुई थी, जैसा कि नीचे तालिका में वर्णित है:

तालिका-2.7

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | लेखापरीक्षित ईकाइयों की संख्या | आपत्ति किए गए | | स्वीकार किए गए | | वसूल किए गए | |
|------------|--------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|
| | | मामलों की संख्या | राशि | मामलों की संख्या | राशि | मामलों की संख्या | राशि |
| 2007-08 | 36 | 540 | 245.58 | 70 | 2.64 | 8 | 0.14 |
| 2008-09 | 41 | 445 | 433.50 | 41 | 377.94 | 19 | 0.10 |
| 2009-10 | 36 | 882 | 1,263.56 | 806 | 920.97 | 113 | 0.64 |
| 2010-11 | 48 | 1,106 | 1,622.53 | 136 | 57.98 | 121 | 0.86 |
| 2011-12 | 40 | 1,024 | 558.14 | 178 | 66.99 | 45 | 2.24 |
| कुल | 201 | 3,997 | 4,123.31 | 1,231 | 1,426.52 | 306 | 3.98 |

कुल ₹ 1,426.52 करोड़ से सन्निहित स्वीकृत मामलों के विरुद्ध ₹ 3.98 करोड़ (0.28 प्रतिशत) की नगण्य वसूली सरकारी बकायों की वसूली में सरकार/विभाग की ओर से तत्परता के अभाव को इंगित करता है।

हम यह अनुशंसा करते हैं कि कम से कम स्वीकृत मामलों में सन्निहित राशि की वसूली हेतु सरकार उचित कदम उठाये।

2.8.3 निरीक्षण प्रतिवेदन, 2012-13 की अनुपालन की स्थिति

वर्ष 2012-13 के दौरान हमने वाणिज्य-कर से संबंधित 43 ईकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की तथा ₹ 688.93 करोड़ से सन्निहित 1,346 मामलों में करों का अवनियमितताओं का पता लगाया जो निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं:

तालिका-2.8

(₹ करोड़ में)

| क्रम संख्या | श्रेणियाँ | मामलों की संख्या | राशि |
|--------------------------------------|---|------------------|---------------|
| क : बिक्री, व्यापार आदि पर कर | | | |
| 1. | आवर्त करों का छिपाव | 159 | 107.36 |
| 2. | इनपुट टैक्स क्रेडिट की अधिक अनुमति | 72 | 16.01 |
| 3. | कर से छुट की अनियमित अनुमति | 235 | 78.40 |
| 4. | कर का गलत दर लगाया जाना | 104 | 56.21 |
| 5. | कर का नहीं/कम आरोपण | 16 | 1.26 |
| 6. | केन्द्रीय बिक्री कर का अवनियमितता | 18 | 1.17 |
| 7. | कर के रियायती दर की अनियमित अनुमति | 6 | 0.48 |
| 8. | आवर्त का गलत निर्धारण के कारण कर का कम आरोपण | 8 | 0.38 |
| 9. | कर के अधिक संग्रहण हेतु अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जाना/संगणना में भूल | 9 | 0.96 |
| 10. | क्रय कर का आरोपण नहीं किया जाना | 6 | 0.34 |
| 11. | अन्य मामले | 497 | 79.01 |
| कुल | | 1,130 | 341.58 |

| ख : प्रवेश कर | | | |
|----------------------------|--|-------|--------|
| 1. | आयातित मूल्य के छिपाव के कारण प्रवेश कर का नहीं/कम आरोपण | 44 | 55.23 |
| 2. | प्रवेश कर का गलत दर लगाया जाना | 18 | 55.50 |
| 3. | अन्य मामले | 126 | 82.75 |
| कुल | | 188 | 193.48 |
| ग : मनोरंजन कर/विलासिता कर | | | |
| 1. | मनोरंजन कर का नहीं/कम आरोपण | 12 | 1.30 |
| 2. | विलासिता कर का नहीं/कम आरोपण | 3 | 1.03 |
| 3. | अन्य मामले | 8 | 0.32 |
| कुल | | 23 | 2.65 |
| घ : विद्युत शुल्क | | | |
| 1. | विद्युत शुल्क के छूट की अनियमित अनुमति | 1 | 149.36 |
| 2. | विद्युत शुल्क का नहीं/कम आरोपण | 1 | 0.81 |
| 3. | अन्य मामले | 3 | 1.05 |
| कुल | | 5 | 151.22 |
| कुल योग | | 1,346 | 688.93 |

वर्ष के दौरान विभाग ने 116 मामलों में ₹ 31.22 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया, जिसमें से ₹ 4.07 करोड़ से सन्निहित 16 मामले वर्ष 2012-13 के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए थे और 17 मामलों में ₹ 19.13 लाख की वसूली हुई थी, जो वर्ष 2008-09 तथा 2011-12 के बीच इंगित किए गए थे।

दृष्टांतस्वरूप ₹ 224.67 करोड़ के कर प्रभाव से सन्निहित कुछ मामले निम्न कंडिकाओं में वर्णित हैं।

2.9 अधिनियमों/नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाना

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956, बिहार स्थानीय क्षेत्रों में वस्तुओं के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993, बिहार होटलों में विलासिता पर करारोपण अधिनियम, 1988, बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 तथा उनके अधीन निर्मित नियमों के प्रावधानों के तहत निम्न आरोपण एवं भुगतान आवश्यक हैं:

- व्यवसायियों द्वारा उचित दरों पर बिक्री, व्यापार आदि पर कर, प्रवेश कर एवं अधिभार तथा विलासिता कर, विद्युत शुल्क इत्यादि;
- बिक्री/क्रय का छिपाव के मामले में छोड़े गये आवर्त पर निर्धारित कर के तीन गुणा दर पर अर्थदण्ड; तथा
- कर के विलम्ब से भुगतान के लिए प्रत्येक कैलेण्डर माह अथवा उसके किसी भाग के लिये 1.5 प्रतिशत के दर पर ब्याज।

अधिनियमों/नियमावली/निर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किये जाने के फलस्वरूप ₹ 224.67 करोड़ के कर का नहीं/कम आरोपण, कर का अवनिर्धारण, गलत छूट/कटौती इत्यादि से संबंधित कुछ मामले कंडिकायें 2.10 से 2.30 में वर्णित हैं, जो विभाग में पर्याप्त नियंत्रण की कमी को दर्शाता है।

क : बिक्री, व्यापार आदि पर कर

2.10 आवर्त का छिपाव

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 31(2) के अंतर्गत यदि निर्धारण प्राधिकारी यह संतुष्ट हो जाता है कि अधिनियम के तहत कर योग्य कोई आवर्त का अवनिर्धारण हुआ है/कर निर्धारण से वंचित रह गया है, तब वह चार वर्षों के अंदर भुगतेय कर का निर्धारण अथवा पुनर्निर्धारण करेगा तथा कर एवं ब्याज के अलावे वंचित आवर्त पर भुगतेय कर के तीन गुणा के समतुल्य अर्थदण्ड आरोपित करेगा।

पुनः बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 25 (1) के प्रावधानों के तहत विहित प्राधिकारी, समय के अन्दर तथा विहित तरीके से, धारा 24 के उप धारा (1) एवं (3) के तहत जमा किये गये प्रत्येक रिटर्न का संवीक्षा यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से करेगा कि (क) संगणना गणितीय रूप से सही है। (ख) आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स, देय कर एवं ब्याज अगर कोई हो, की संगणना सही एवं उचित रूप से की गई है। (ग) सही दर से कर का आरोपण किया गया है। (घ) कर भुगतान एवं देय ब्याज यदि कोई हो, से संबंधित विहित साक्ष्य दिये गये हैं। (ङ) दावा की गई कटौतियाँ, अधिनियम के तहत अथवा उस समय लागू अन्य कानून के अंतर्गत विहित तरीके से साक्ष्य द्वारा समर्थित थे।

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 35 (1) (ई) के प्रावधानों के तहत एक व्यवसायी बिक्री की गई वस्तुओं के मूल्य, परन्तु मूल बिक्री की तिथि से छः महीने के अन्दर व्यवसायी को वापस कर दिये गये तथा जिसके संबंध में उपरोक्त अधिनियम की धारा 53 में विनिर्दिष्ट एक क्रेडिट नोट विक्रेता व्यवसायी द्वारा क्रेता व्यवसायी को निर्गत किया गया हो, कटौती लेने हेतु योग्य है।

हमलोगों ने पाया कि संवीक्षा के प्रावधान में विशेष रूप से रिटर्न में दर्शाये गये आवर्त की जाँच व्यवसायी के रिटर्न की संवीक्षा करते समय उसके अन्य अभिलेखों, जैसे कि रोड परमिट की उपयोगिता विवरणी, घोषणा प्रपत्रों तथा साथ ही साथ टैक्स आडिट रिपोर्ट अथवा अन्य व्यवसायियों के अभिलेखों से प्राप्त बिक्री एवं क्रय से संबंधित सूचनाओं से करने का प्रावधान नहीं था।

हमलोगों ने फरवरी 2012 एवं मार्च 2013 के बीच छः वाणिज्य-कर अंचलों⁸ में पाया कि 3,454 व्यवसायियों, जिनके अभिलेखों की नमूना जाँच की गई, में से नौ व्यवसायियों (कर निर्धारित: एक, संवीक्षित: दो तथा स्व-कर निर्धारित: छः) ने वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 के बीच की अवधि के दौरान ₹ 262.73 करोड़ का माल क्रय/विक्रय किया, जैसाकि उनके रोड परमिट (डी0-IX⁹) के

उपयोगिता विवरणी, घोषणा प्रपत्रों सी¹⁰ की विवरणी, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट¹¹ एवं प्रवेश कर अधिनियम के तहत दाखिल किये गये वार्षिक रिटर्न में दर्शाया गया था। हालाँकि

⁸ नवादा, पटना केन्द्रीय, पटना सिटी पश्चिमी, पटना विशेष, पटना पश्चिमी एवं सारण।

⁹ डी0-IX - राज्य के बाहर से ₹ 10,000 अथवा अधिक के मूल्य के वस्तुओं के आयात/क्रय हेतु उपयोग में लाए गए रोड परमिट घोषणा। यह वस्तुओं के परिवहन के साथ रहता है।

¹⁰ प्रपत्र सी- अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के क्रम में रियायती दर पर वस्तुओं के क्रय हेतु उपयोग में लाया जाता है।

¹¹ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट- प्रत्येक व्यवसायी जिनका सकल आवर्त ₹ एक करोड़ एवं उससे अधिक है, उन्हें नियत तिथि तक चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा सत्यापित एक टैक्स ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है।

उनलोगों ने अपने वार्षिक रिटर्न में ₹ 220.20 करोड़ ही लेखापित किए एवं इस प्रकार ₹ 42.53 करोड़ मूल्य के वस्तुओं के क्रय/विक्रय का छिपाव किया। चूंकि विभाग ने सूचनाओं की तिर्यक जाँच हेतु कोई अनुदेश निर्गत नहीं किया था, निर्धारण प्राधिकारी आवर्त के छिपाव का पता नहीं लगा सका। यह विभाग में समुचित नियंत्रण प्रणाली की कमी को दर्शाता है, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 12.51 करोड़ के अर्थदण्ड तथा ₹ 1.39 करोड़ के आरोप्य ब्याज सहित ₹ 18.07 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ, जैसा कि परिशिष्ट-I में वर्णित है। दृष्टांतस्वरूप कुछ मामले नीचे दिए गए हैं:

तालिका-2.9

(₹ लाख में)

| क्रम संख्या | अंचल का नाम व्यवसायियों की सं० | अवधि | वास्तविक क्रय लेखापित | वास्तविक बिक्री लेखापित | छिपाव की राशि | कर अर्थदण्ड | ब्याज | कुल |
|-------------|-----------------------------------|---------|--------------------------|----------------------------|---------------|------------------|-------|--------|
| 1 | पटना सिटी पश्चिम 1 | 2009-10 | 5551.18 4037.40 | --- | 1,513.78 | 189.22 567.67 | 59.60 | 816.49 |
| 2 | पटना विशेष 3 | 2010-11 | 4,747.03 3,466.51 | 6,722.28 6,602.70 | 1,400.11 | 164.08 492.24 | 56.61 | 712.93 |
| 3 | नवादा 2 | 2010-11 | --- | 2,329.60 1,655.37 | 674.24 | 28.71 86.13 | 7.34 | 122.19 |

हमलोगों के इंगित किये जाने के बाद निर्धारण प्राधिकारी, पटना विशेष अंचल ने एक मामले में कहा (जुलाई 2013) कि व्यवसायी ने ₹ 28.08 लाख की बिक्री वापसी (छः माह के अन्दर) के मद में कटौती का दावा किया था एवं लाभ लिया था, न कि ₹ 119.58 लाख पर (छः माह के बाद : ₹ 91.50 लाख एवं छः माह के अंदर : ₹ 28.08 लाख), जैसा कि लेखापरीक्षा का दावा है। उत्तर इस तथ्य के अनुरूप नहीं है क्योंकि व्यवसायी ने वास्तव में छः महीने के अंदर/बाद की बिक्री वापसी की राशि ₹ 119.58 लाख को घटा कर ही सकल आवर्त स्वीकार किया था तथा पुनः ₹ 28.08 लाख की कटौती का दावा किया था तथा इसके अनुसार ही कर भी स्वीकार किया गया था। अतः व्यवसायी ने ₹ 119.58 लाख का छिपाव किया जिसके लिये वह कर भुगतान करने हेतु उत्तरदायी था। इस तथ्य को निर्धारण प्राधिकारी द्वारा भी जुलाई 2013 में पुनर्करनिर्धारण करते समय पता नहीं लगाया गया था। शेष मामलों के उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं (नवंबर 2013)।

मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्रक्षेत्र) की कंडिका 2.4 में इस तरह के तथ्यों के जबाव में विभाग ने प्रतिवेदित किया कि कुछ मामलों में मांगपत्र निर्गत किये जा चुके हैं। इस तरह के चूकों/अनियमितताओं की प्रकृति अभी भी जारी है, जो राजस्व के निरंतर रिसाव को रोकने हेतु विभाग के आंतरिक नियंत्रण तंत्र की अप्रभावशीलता को दर्शाता है।

मामले सरकार को मार्च एवं जुलाई 2013 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; उनके उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (नवंबर 2013)।

2.11 कर का गलत दर लगाए जाने के फलस्वरूप कर का कम आरोपण

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 25 (1) के प्रावधानों के तहत विहित प्राधिकारी लागू किये गये सही दर पर करों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से धारा 24 के उप धारा (1) एवं (3) के अन्तर्गत दाखिल प्रत्येक रिटर्न की समय सीमा के अन्दर तथा विहित तरीकों से संवीक्षा करेगा।

पुनः बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 31 (2) एवं 39 (4) के प्रावधान के अंतर्गत भुगतेय कर के तीन गुणा के समतुल्य अर्थदण्ड एवं 1.5 प्रतिशत प्रति माह के दर पर ब्याज आरोप्य है, यदि भुगतेय कर की राशि को कम करने के उद्देश्य से बिक्री का पूर्ण एवं सही ब्योरा देने में व्यवसायी विफल रहता है।

हमलोगों ने 17 वाणिज्य-कर अंचलों¹² में फरवरी 2012 एवं अप्रैल 2013 के बीच पाया कि 24 व्यवसायियों (संवीक्षित : दो एवं स्व-कर निर्धारित : 22) ने वर्ष 2008-09 से 2010-11 के दौरान ₹ 270.24 करोड़ मूल्य के विभिन्न वस्तुओं की बिक्री पर चार से 12.5 प्रतिशत की सही दर के बदले शून्य से चार प्रतिशत का कम दर निर्धारित किया। संवीक्षा नहीं/त्रुटिपूर्ण संवीक्षा किये जाने के कारण कर का गलत दर लगाये जाने का पता निर्धारण प्राधिकारियों को नहीं चला, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.38 करोड़ के ब्याज एवं ₹ 39.32 करोड़ के आरोप्य अर्थदण्ड सहित ₹ 56.81 करोड़ का

कर कम आरोपित हुआ, जैसा कि परिशिष्ट-II में वर्णित है। दृष्टांतस्वरूप कुछ मामले नीचे दिए गए हैं:

तालिका-2.10

(₹ लाख में)

| क्रम संख्या | अंचल का नाम व्यवसायियों की सं० | अवधि | बिक्री मूल्य | सामग्री | आरोप्य कर आरोपित (प्रतिशत में) | कम आरोपण अर्थदण्ड | ब्याज | कुल |
|-------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|---|---|--------------------|--------|----------|
| 1 | पाटलीपुत्र 2 | 2009-10, 2010-11 | 19,697.85 | डीजल रोड रोलर, चावल एवं गेहूँ | 12.5/4 1 + 3 (अति०कर) /0 | 846.70 2,540.10 | 279.41 | 3,666.21 |
| 2 | पटना विशेष 6 | 2008-09, 2009-10, 2010-11 | 3,038.75 | मेडिकर सैम्पू, ऑलिव आयल एवं सॉस, रोड मार्किंग पेंट, जलजीरा, दवाईयाँ, लीभ-52 | 12.5/ अधिकतम खुदरा मूल्य 12.5/4 4/0 | 152.56 457.68 | 59.81 | 670.05 |
| 3 | गाँधी मैदान 1 | 2010-11 | 1,709.00 | प्लाई-बोर्ड | 12.5/4 | 145.27 435.80 | 37.04 | 618.11 |
| 4 | फारबिसगंज 1 | 2009-10, 2010-11 | 826.12 | बेड मिसाइल | 12.5/4 | 70.22 210.66 | 22.76 | 303.64 |

¹² बेगुसराय, बेतिया, भागलपुर, दानापुर, फारबिसगंज, गाँधी मैदान, कदमकुआँ, मुजफ्फरपुर पश्चिमी, पाटलीपुत्र, पटना मध्य, पटना सिटी पूर्वी, पटना सिटी पश्चिमी, पटना दक्षिणी, पटना विशेष, पटना पश्चिमी, पूर्णिया एवं सासाराम।

हमलोगों के इंगित किये जाने के बाद निर्धारण प्राधिकारी/संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) ने सितम्बर 2012 एवं अक्टूबर 2013 के बीच छः अंचलों¹³ के नौ व्यवसायियों से संबंधित लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया तथा ₹ 19.33 करोड़ का माँग सृजित किया। जबकि उपरोक्त वर्णित पटना विशेष अंचल के एक मामले में निर्धारण प्राधिकारी ने व्यवसायी द्वारा दावा किए गए 19 में से 5 उत्पादों को 'ड्रग एवं मेडीसिन' के अंतर्गत मानते हुए व्यवसायी के दावे को खारिज कर दिया तथा शेष उत्पादों पर छूट के दावे को स्वीकार कर लिया। परन्तु निर्धारण प्राधिकारी द्वारा बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 33 के अंतर्गत पारित किए गए निर्धारण आदेश के विश्लेषण से यह साबित होता है कि व्यवसायी द्वारा बेचे गए शेष 14 उत्पादों में भी या तो बिटामीन या मिनरल समाहित थे तथा उनके उपयोग या तो रोग के रोकथाम या रोगमुक्त करने के लिए थे और इस प्रकार ड्रग एवं कास्मेटिक अधिनियम, 1940 की धारा 3 (बी) के अनुसार वे दवाईयाँ हैं तथा मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची III की प्रविष्टि संख्या 45 के तहत यह चार प्रतिशत के अंतर्गत कर देय था। स्वीकृत मामलों में वसूली एवं शेष मामलों में उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (नवम्बर 2013)।

मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्रक्षेत्र) की कंडिका 2.6 में इस तरह के तथ्यों के जबाब में विभाग ने प्रतिवेदित किया कि कुछ मामलों में मांगपत्र निर्गत किये जा चुके हैं। इस तरह के चूकों/अनियमितताओं की प्रकृति अभी भी जारी है, जो राजस्व के निरंतर रिसाव को रोकने हेतु विभाग के आंतरिक नियंत्रण तंत्र की अप्रभावशीलता को दर्शाता है।

मामले सरकार को मार्च एवं जुलाई 2013 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; उनके उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (नवंबर 2013)।

2.12 इनपुट टैक्स क्रेडिट की अधिक अनुमति

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 16 में प्रावधान है कि जब एक निर्बंधित व्यवसायी बिहार राज्य के अन्दर किसी अन्य निर्बंधित व्यवसायी से अधिनियम की धारा 14 अथवा धारा 4 के तहत कर का भुगतान करने के पश्चात् कोई इनपुट का क्रय करता है, तब वह विहित तरीके से इनपुट के क्रेडिट का दावा करने के योग्य है, अगर मालों की बिक्री राज्य के अन्दर अथवा अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के क्रम में की गई हो अथवा राज्य के अन्दर अथवा अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के क्रम में बिक्री के लिए वस्तुओं (अनुसूची- IV के वस्तुओं के अलावे) के निर्माण में खपत की गई हो। पुनः उपरोक्त अधिनियम की धारा 31 में इनपुट टैक्स क्रेडिट के अधिक/गलत दावों के लिए ब्याज की राशि के अलावे भुगतेय कर के तीन गुणा के समतुल्य अर्थदण्ड लगाए जाने का भी प्रावधान है।

हमलोगों ने नौ वाणिज्य-कर अंचलों¹⁴ में फरवरी 2012 से मार्च 2013 के बीच 17 व्यवसायियों (संवीक्षित : तीन एवं स्व-कर निर्धारित : 14) के रिटर्न से पाया कि उन्होंने वर्ष 2008-09 से 2010-11 के दौरान अपने वार्षिक रिटर्न में ₹ 936.60 करोड़ मूल्य के वस्तुओं के क्रय पर ₹ 41.32 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया था। हालाँकि उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार व्यवसायी वस्तुओं के उस क्रय पर सिर्फ ₹ 34.26

¹³ बेगुसराय, फारबिसगंज, पाटलीपुत्र, पटना विशेष, पूर्णिया एवं सासाराम।

¹⁴ किशनगंज, मुजफ्फपुर पश्चिमी, नवादा, पटना सिटी पश्चिमी, पाटलीपुत्र, पटना उत्तरी, पटना विशेष, सारण एवं तैघड़ा।

करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट के ही हकदार थे। इस प्रकार व्यवसायियों ने ₹ 7.06 करोड़ के अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपभोग किया। इस अधिक दावे के लिए ₹ 21.19 करोड़ का अर्थदण्ड तथा ₹ 2.81 करोड़ का ब्याज संगणित किया गया है। निर्धारण प्राधिकारी उन तीन संवीक्षित मामलों में भी इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिक लाभ लिये जाने का पता नहीं लगा सके जो बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 25 (1) के प्रावधानों के प्रति अनुपालन नहीं किए जाने की ओर इंगित करता है। कुल राजस्व प्रभाव ₹ 31.06 करोड़ था, जैसा कि परिशिष्ट-III में वर्णित है। दृष्टांतस्वरूप कुछ मामले नीचे दिए गए हैं:

तालिका-2.11

(₹ लाख में)

| क्रम संख्या | अंचल का नाम व्यवसायियों की सं० | कर निर्धारण की अवधि | वास्तविक हकदारी उपभोग किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट | इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिक उपभोग | अर्थदण्ड | ब्याज | कुल |
|-------------|--------------------------------|---------------------------------|--|-----------------------------------|----------|--------|---------|
| 1 | पटना विशेष 6 | 2009-10, 2010-11 | 77.75 381.46 | 303.71 | 911.14 | 148.40 | 1363.25 |
| 2 | पाटलीपुत्र 1 | 2010-11 | 162.38 521.84 | 359.46 | 1078.37 | 118.62 | 1556.45 |
| 3 | पटना सिटी पश्चिमी 4 | 2008-09, 2009-10, 2010-11 | 2837.21 2852.50 | 15.29 | 45.87 | 5.95 | 67.11 |

हमलोगों के इंगित किये जाने के बाद निर्धारण प्राधिकारी/संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) ने सितम्बर 2012 एवं अक्टूबर 2013 के बीच चार अंचलों¹⁵ के चार व्यवसायियों से संबंधित लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया तथा ₹ 56.41 लाख का माँग सृजित किया। स्वीकृत मामलों में वसूली एवं शेष मामलों में उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं।

मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्रक्षेत्र) की कंडिका 2.5 में इस तरह के तथ्यों के जबाब में विभाग ने प्रतिवेदित किया कि कुछ मामलों में मांगपत्र निर्गत किये जा चुके हैं। इस तरह के चूकों/अनियमितताओं की प्रकृति अभी भी जारी है, जो राजस्व के निरंतर रिसाव को रोकने हेतु विभाग के आंतरिक नियंत्रण तंत्र की अप्रभावशीलता को दर्शाता है।

मामले सरकार को जून एवं जुलाई 2013 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; उनके उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (नवंबर 2013)।

15

नवादा, पटना सिटी पश्चिमी, सारण एवं तेघड़ा।

2.13 मूल्यवर्द्धित कर के भुगतान के विरुद्ध प्रवेश कर का गलत समायोजन

बिहार प्रवेश कर अधिनियम, 1993 की धारा 4(ए) के तहत अगर कोई व्यवसायी बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने हेतु दायी है, आयातित अनुसूचित मालों की बिक्री अथवा ऐसे आयातित अनुसूचित मालों से विनिर्मित वस्तुओं की बिक्री के कारण उसपर बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट दर पर कर का भुगतान की देयता बनती है, तब उपरोक्त अधिनियम के तहत उसका कर दायित्व प्रवेश कर अधिनियम के अन्तर्गत भुगतान किये गये कर की सीमा तक कम कर दिया जायेगा।

पुनः, विनिर्माता के मामले में सिर्फ लघु, मध्यम एवं रुग्ण औद्योगिक इकाईयों को ही कर दायित्व में कमी किये जाने की स्वीकृति दी जायेगी। पुनः आयातित अनुसूचित मालों से विनिर्मित किसी वस्तु की बिक्री बिहार राज्य के भीतर अथवा अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के क्रम में अथवा भारतीय क्षेत्र से बाहर निर्यात किये जाने के क्रम में किये जाने के मामले में कर दायित्व में कटौती के दावे को समानुपातिक रूप से कम कर दी जायेगी।

भारत सरकार द्वारा अधिसूचित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग अधिनियम, 2006 में प्लांट एवं मशीनरी में विनिवेश के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है।

बिहार औद्योगिक नीति, 2006 के अनुसार लघु उद्योग ईकाई ऐसी औद्योगिक ईकाई है जिसमें भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित सीमा तक पूंजी निवेश किया गया हो।

हमलोगों ने 12 वाणिज्य-कर अंचलों¹⁶ में फरवरी 2012 तथा अप्रैल 2013 के बीच पाया कि 23 व्यवसायियों (कर निर्धारित : एक , संवीक्षित : तीन एवं स्व-कर निर्धारित : 19) ने वर्ष 2008-09 तथा 2010-11 के बीच अपने मूल्यवर्द्धित कर दायित्व के विरुद्ध ₹ 33.75 करोड़ के प्रवेश कर के समायोजन का दावा किया/अनुमति दिया गया। हालाँकि हमलोगों की संवीक्षा से यह प्रकटित हुआ कि व्यवसायी केवल ₹ 24.18 करोड़ के प्रवेश कर के समायोजन हेतु ही हकदार थे, क्योंकि वे प्रवेश कर समायोजन के लिए विहित मानदण्ड¹⁷ को पूरा नहीं कर रहे थे। इस प्रकार व्यवसायियों को ₹ 9.57 करोड़ के प्रवेश कर के समायोजन की गलत अनुमति दी गयी। हालाँकि निर्धारण प्राधिकारी निर्धारित/संवीक्षित मामलों में भी अमान्य समायोजन के दावे का पता नहीं लगा सके। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.77 करोड़ के आरोप्य

ब्याज सहित ₹ 12.34 करोड़ के प्रवेश कर का अधिक समायोजन, भुगतये मूल्यवर्द्धित कर के विरुद्ध किया गया, जैसा कि परिशिष्ट-IV में वर्णित है।

हमलोगों के इंगित किये जाने के बाद निर्धारण प्राधिकारी/संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) ने सितम्बर 2012 एवं अक्टूबर 2013 के बीच छः अंचलों¹⁸ के छः व्यवसायियों से संबंधित

¹⁶ भागलपुर, फारबिसगंज, मुजफ्फपुर पश्चिमी, पाटलीपुत्र, पटना सिटी पूर्वी, पटना सिटी पश्चिमी, पटना उत्तरी, पटना दक्षिणी, पटना विशेष, पटना पश्चिमी, सारण (छपरा) एवं सासाराम।

¹⁷ (i). आयात किए गए वस्तुओं का पुनः विक्रय नहीं किया जाना। (ii). व्यवसायी, लघु, मध्यम एवं रुग्ण उद्योग से संबंधित नहीं थे। (iii). मूल्यवर्द्धित कर की दर प्रवेश कर की दर से कम था तथा (iv). प्रवेश कर का पूरा समायोजन लिया गया था बजाय समानुपातिक के।

¹⁸ फारबिसगंज, मुजफ्फपुर पश्चिमी, पाटलीपुत्र, पटना दक्षिणी, पटना विशेष एवं सासाराम।

लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया तथा 1.16 करोड़ का माँग सृजित किया। स्वीकृत मामलों में वसूली एवं शेष मामलों में उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं।

मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्रक्षेत्र) की कंडिका 2.7 में इस तरह के तथ्यों के जबाब में विभाग ने प्रतिवेदित किया कि कुछ मामलों में मांगपत्र निर्गत किये जा चुके हैं। इस तरह के चूकों/अनियमितताओं की प्रकृति अभी भी जारी है। जो राजस्व के निरंतर रिसाव को रोकने हेतु विभाग के आंतरिक नियंत्रण तंत्र की अप्रभावशीलता को दर्शाता है।

मामले सरकार को मई एवं जुलाई 2013 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; उनके उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (नवंबर 2013)।

2.14 कटौतियों की गलत अनुमति

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 35 तथा बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली के नियम 18 के तहत एक कार्य संवेदक, मजदूरी एवं किसी प्रकार के प्रभार जैसे कि मजदूरी एवं सेवाओं के मद में उप संवेदक को किए गए भुगतान की राशि, योजना, रूपांकन एवं वास्तुकार फीस हेतु प्रभार, किराये पर प्राप्त किए गए मशीन एवं औजार के उपयोग हेतु प्रभार, उपभोज्य वस्तुओं की लागत, मजदूरी एवं सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित स्थापना की लागत, मजदूरी एवं सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित अन्य इसी प्रकार के खर्चे, संवेदक द्वारा मजदूरी एवं सेवाओं की आपूर्ति पर अर्जित लाभ तथा बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 6 अथवा धारा 7 के तहत छूट प्राप्त मालों अथवा लेन-देनों पर, कटौती लिए जाने हेतु योग्य है।

हमलोगों ने 17 वाणिज्य-कर अंचलों¹⁹ में फरवरी 2012 और मार्च 2013 के बीच 21 कार्य संवेदकों (कर निर्धारित: दो, संवीक्षित: एक तथा स्व-कर निर्धारित: 18) के रिटर्न, कर निर्धारण आदेश, लाभ एवं हानि खाता एवं संवेदकों द्वारा जमा किए गए विवरणी से हमने पाया कि वर्ष 2008-09 तथा 2010-11 के बीच की अवधि के दौरान उन्होंने ₹ 701.35 करोड़ की कटौती का लाभ लिया था, जबकि वे मात्र ₹ 490.33 करोड़ की ही कटौती के हकदार थे। हालाँकि निर्धारण प्राधिकारी निर्धारित/संवीक्षित मामलों में भी अमान्य कटौतियों के दावे का पता नहीं लगा सके जो विभाग में पर्याप्त नियंत्रण तंत्र के अभाव का द्योतक है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 13.01 करोड़ के कर का कम आरोपण

हुआ जिसकी संगणना ₹ 701.35 करोड़ के कटौती के उपरोक्त दावे की सामग्री एवं मजदूरी तथा सेवाओं के बीच समानुपातिक रूप से संगणित ₹ 211.02 करोड़ के सामग्री मद पर की गई थी, जैसा कि परिशिष्ट-V में वर्णित है।

हमलोगों के इंगित किये जाने के बाद निर्धारण प्राधिकारी/संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) ने सितम्बर 2012 एवं अक्टूबर 2013 के बीच 10 अंचलों²⁰ के 11 व्यवसायियों से संबंधित लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया तथा ₹ 10.46 करोड़ का माँग सृजित किया। स्वीकृत मामलों में वसूली एवं शेष मामलों में उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं।

¹⁹ भभुआ, भागलपुर, फारबिसगंज, गया, हाजीपुर, जहानाबाद, कदमकुआँ, मोतीहारी, मुजफ्फपुर पूर्वी, पाटलीपुत्र, पटना मध्य, पटना सिटी पूर्व, पटना दक्षिणी, पटना विशेष, पटना पश्चिमी, सारण एवं सासाराम।

²⁰ फारबिसगंज, हाजीपुर कदमकुआँ, मोतीहारी, मुजफ्फपुर पूर्वी, पाटलीपुत्र, पटना दक्षिणी, पटना विशेष, पटना पश्चिमी एवं सासाराम।

मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्रक्षेत्र) की कंडिका 2.9 में इस तरह के तथ्यों के जबाव में विभाग ने प्रतिवेदित किया कि कुछ मामलों में मांगपत्र निर्गत किये जा चुके हैं। इस तरह के चूकों/अनियमितताओं की प्रकृति अभी भी जारी है। जो राजस्व के निरंतर रिसाव को रोकने हेतु विभाग के आंतरिक नियंत्रण तंत्र की अप्रभावशीलता को दर्शाता है।

मामले सरकार को जुलाई 2013 में प्रतिवेदित किये गये थे; उनके उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (नवंबर 2013)।

2.15 बोनस बिक्री पर कटौती की गलत अनुमति

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 15 (5) के अनुसार अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी राज्य सरकार अधिसूचना के माध्यम से तथा ऐसी शर्तें एवं पाबंदियों के तहत एवं ऐसी सामग्रियों से संबंधी, जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हो, निबंधित व्यवसायियों के किसी वर्ग को, चाहे वह आयातक अथवा विनिर्माता हो, उसके द्वारा बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 14 में विनिर्दिष्ट कर के दर पर भुगतान करने के बदले, ऐसी वस्तुओं के अधिकतम खुदरा मूल्य पर विहित तरीके से कर का भुगतान करने का अनुमति दे सकती है।

राज्य सरकार ने मई 2006 में एक अधिसूचना जारी किया एवं औषधि तथा दवाईयों के व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों को वस्तुओं के अधिकतम खुदरा मूल्य पर कर का भुगतान करने हेतु अनुमति प्रदान की।

हमने पाया कि विभाग ने उन व्यवसायियों, जिन्होंने वस्तुओं के अधिकतम खुदरा मूल्य पर कर का भुगतान करने का विकल्प दिया था, के मामले में भुगतान किये गये कर की शुद्धता को सुनिश्चित करने हेतु कोई तंत्र नहीं बनाया था। हमने पुनः देखा कि दवाईयों की आपूर्ति पर कर से बचने के लिये व्यवसायियों ने बोनस बिक्री के रूप में दवाईयों को मुफ्त में दिये जाने का सहारा लिया। दृष्टांतस्वरूप एक मामला नीचे वर्णित है।

पटना विशेष वाणिज्य-कर अंचल में मार्च 2013 में हमने पाया कि एक व्यवसायी, जो वस्तुओं (दवाईयों, अधिकतम खुदरा मूल्य पर चार प्रतिशत के दर पर कर देय) के अधिकतम खुदरा मूल्य

पर कर का भुगतान करने का विकल्प दिया था, ने वर्ष 2010-11 के दौरान ₹ 96.19 करोड़ मूल्य की दवाईयों की बिक्री/आपूर्ति की, जिसमें से ₹ 30.16 करोड़ की दवाईयों का दावा कर मुक्त बोनस बिक्री के रूप में किया था। निर्धारण प्राधिकारी ने भी जुलाई 2012 में मामले की संवीक्षा करते समय व्यवसायी के दावे की स्वीकृति दी। हालाँकि इस आशय का कोई ऐसा वर्णन (अभिलेख पर रखे गये उपलब्ध कर बीजक पर) नहीं था कि इन दवाईयों को ग्राहकों को नहीं बेचा जाएगा। इस प्रकार की पाबंदियों अथवा कोई अन्य प्रणाली के अभाव में इन दवाईयों को बगैर कर आरोपित किये पुनः बिक्री की संभावना थी, जिससे राजकोष की हानि हुई।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद, निर्धारण प्राधिकारी ने कहा (अक्टूबर 2013) कि माननीय पटना उच्च न्यायालय के न्याय-निर्णय²¹ में कहा गया है कि परिणात्मक छूट जो कि एक व्यापार छूट है, करदेय आवर्त का हिस्सा नहीं हो सकता है। यह देखा जा सकता है कि कंडिका में हमने बोनस बिक्री के रूप में राजस्व के रिसाव की संभावना को इंगित किया है, जो कि व्यापार छूट स्वीकृत किये जाने के व्यवसाय प्रथा से अलग

²¹ वर्ष 2003 का सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 1900, मे0 मापरा लेबोरेट्रीज प्रा0लि0 बनाम बिहार राज्य एवं अन्य।

है। यद्यपि उसी अंचल में निबंधित दूसरे व्यवसायी के मामले में निर्धारण प्राधिकारी ने बोनस बिक्री पर कर आरोपित किया है।

मामला सरकार को जुलाई 2013 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर हमें प्राप्त नहीं हुये हैं (नवंबर 2013)।

हम यह अनुशंसा करते हैं कि सरकार अधिकतम खुदरा मूल्य योजना के तहत बोनस बिक्री के रूप में दवाईयों की आपूर्ति पर राजस्व के रिसाव को रोकने हेतु एक तंत्र कायम करने पर विचार कर सकती है।

2.16 निर्यात बिक्री पर कटौती का गलत दावा

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 5 की उपधारा (1) के प्रावधान के तहत वस्तुओं की बिक्री अथवा क्रय भारतीय सीमा से बाहर वस्तुओं के निर्यात के क्रम में तभी माना जायेगा, जब बिक्री अथवा क्रय वस्तुओं के भारत की सीमा चौकी को पार करने के बाद ऐसी वस्तुओं को निर्यात किया गया हो अथवा स्वामित्व के कागजात को हस्तांतरित किया गया हो। पुनः उपधारा (5) प्रावधित करता है कि उपधारा (1) में किसी बात के रहते हुए भी अगर कोई नामजद भारतीय वाहक अन्तर्राष्ट्रीय उड़ान के उद्देश्य से एवियेशन टरबाइन फ्यूएल का क्रय करता है, तब ऐसी क्रय भारतीय सीमा से बाहर वस्तुओं के निर्यात के क्रम में माना जायेगा। उपधारा (5) के नीचे दिये गये वर्णन के अनुसार नामजद भारतीय वाहक का अर्थ है, कोई भी वाहक जिसे केन्द्र सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना निर्गत कर इस संबंध में विनिर्दिष्ट किया हो।

एयरक्राफ्ट/एयरलाईन्स को की गई बिक्री उपरोक्त अधिनियम के तहत निर्यात बिक्री के रूप में नहीं मानी जाएगी। इस प्रकार व्यवसायियों ने ₹ 2.74 करोड़ की कटौती का गलत लाभ लिया जो निर्धारण प्राधिकारी द्वारा भी पता नहीं लगाया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 25.66 लाख के आरोप्य ब्याज सहित ₹ 1.05 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद निर्धारण प्राधिकारी/संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) ने एक मामले में लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया तथा ₹ 46.14 लाख का माँग सृजित किया। स्वीकृत मामले में वसूली एवं शेष मामले में उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं।

मामला सरकार को जुलाई 2013 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2013)।

2.16.1 पटना विशेष वाणिज्यकर अंचल में जनवरी एवं मार्च 2013 के बीच हमने पाया कि पेट्रोलियम उत्पाद के दो व्यवसायियों (स्व-कर निर्धारित) ने वर्ष 2010-11 के दौरान अपने रिटर्न में निर्यात बिक्री के मद में ₹ 2,930.08 करोड़ के कटौती का लाभ लिया। व्यवसायियों द्वारा प्रस्तुत किये गये रिटर्न एवं निर्यात बिक्री की विवरणी की संवीक्षा के दौरान पुनः हमने पाया कि व्यवसायियों ने ₹ 2,930.08 करोड़ के अपने पूरे निर्यात बिक्री में से कुल ₹ 2.74 करोड़ मूल्य का एवियेशन टरबाइन फ्यूएल (29 प्रतिशत के दर पर करदेय) वास्तव में विभिन्न विदेशी एयरक्राफ्ट/एयरलाईन्स को बेचा था एवं निर्यात बिक्री के मद में कटौती का लाभ लिया था। किसी विदेशी

2.16.2 निर्यात बिक्री की अनियमित छूट

केन्द्रीय बिक्री कर की धारा 5 के साथ पठित बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 6 के अनुसार भारत की सीमा के बाहर निर्यात किए जाने वाले वस्तुओं पर कर देय नहीं होगा। आयुक्त, वाणिज्य-कर विभाग द्वारा 1986 में एवं पुनः 1991 में निर्गत परिपत्र के अनुसार छूट के दावे उचित साक्ष्य यथा बिल ऑफ एक्सपोर्ट से समर्थित होना आवश्यक है।

हमलोगों ने मार्च 2013 में पटना विशेष वाणिज्य-कर अंचल में पाया कि एक स्व-कर निर्धारित व्यवसायी को वर्ष 2010-11 के दौरान ₹ 74.83 लाख की वस्तुओं को भारत की सीमा से बाहर निर्यात किये जाने पर छूट की स्वीकृति दी गई थी। हालाँकि दावे के समर्थन में प्रस्तुत की गई बिल ऑफ एक्सपोर्ट/कस्टम क्लीयरेंस सर्टीफिकेट की जाँच से पता चला

की वह किसी और व्यवसायी के पक्ष में निर्गत थे। अतः निर्धारण प्राधिकारी द्वारा रिटर्न की संवीक्षा नहीं किए जाने के कारण व्यवसायी द्वारा बिल ऑफ एक्सपोर्ट, जो कि वास्तव में किसी और व्यवसायी के पक्ष में निर्गत थे, के माध्यम से लिए गए छूट का पता नहीं लगा सके। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.03 लाख के आरोप्य ब्याज सहित ₹ 4.03 लाख²² के कर का आरोपण नहीं हुआ।

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद निर्धारण प्राधिकारी ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया एवं ₹ 2.99 लाख का माँग सृजित किया। हमलोग मामले में आगे की प्रगति हेतु प्रतीक्षित हैं।

मामले सरकार को जुलाई 2013 में प्रतिवेदित किये गये थे; उनके उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (नवंबर 2013)।

²² ₹ 74,82,722 पर 4 प्रतिशत की दर पर कर = ₹ 2,99,308
₹ 2,99,308 पर 1.5 प्रतिशत की दर से ब्याज = ₹ 1,03,261
(23 माह के लिए) कुल = ₹ 4,02,570

2.17 कर के रियायती दर की गलत अनुमति

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 8(5) के तहत बिहार सरकार ने अक्टूबर 2006 में एक अधिसूचना निर्गत कर लघु एवं मध्यम उद्योगों द्वारा विनिर्मित मालों की अंतर्राज्यीय बिक्री पर कर का दर एक प्रतिशत निर्धारित किया। भारत सरकार द्वारा अधिसूचित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2006 में प्लांट एवं मशीनरी में विनिवेश के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है। बिहार औद्योगिक नीति, 2006 के अनुसार लघु औद्योगिक ईकाई ऐसी औद्योगिक ईकाई है जो भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित पूँजी निवेश की सीमा को पूरा करते हैं।

इस लाभ का उपभोग करने वाले व्यवसायी को प्रपत्र 'सी' में एक घोषणा, अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत करना है।

हमलोगों ने तीन वाणिज्य-कर अंचलों²³ में मई 2012 और फरवरी 2013 के बीच पाया कि तीन व्यवसायी (स्व-कर निर्धारित) वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 के दौरान प्लान्ट एवं मशीनरी में निवेश की निर्धारित मापदण्ड²⁴ के अनुसार लघु या मध्यम उद्योग के श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आते थे, परन्तु उन्होंने ₹ 7.31 करोड़ के अंतर्राज्यीय बिक्री पर एक प्रतिशत के दर पर कर के रियायती दर के लाभ का उपभोग किया। त्रुटिपूर्ण संवीक्षा/संवीक्षा नहीं किये जाने के कारण निर्धारण प्राधिकारी कर के रियायती दर के गलत उपभोग किये जाने का पता नहीं लगा सके,

जिसके परिणामस्वरूप ₹ 7.64 लाख के आरोप्य ब्याज सहित ₹ 29.99 लाख का कर कम आरोपित हुआ।

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), तिरहुत एवं सारण प्रमंडल, मुजफ्फरपुर ने मई 2013 में हाजीपुर अंचल के एक मामले में तथ्य को स्वीकार किया एवं ₹ 17.25 लाख का माँग सृजित किया। स्वीकृत मामले में वसूली एवं शेष मामलों में उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं।

मामले सरकार को मई एवं जुलाई 2013 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; उनके उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (नवंबर 2013)।

²³ हाजीपुर, पटना सिटी पूर्वी एवं पटना उत्तरी।

²⁴ सूक्ष्म उद्योग: प्लान्ट एवं मशीनरी में विनिवेश ₹ 25 लाख से अधिक नहीं हो; लघु उद्योग: प्लान्ट एवं मशीनरी में विनिवेश ₹ 25 लाख से अधिक परन्तु ₹ पाँच करोड़ से कम तथा मध्यम उद्योग: प्लान्ट एवं मशीनरी में विनिवेश ₹ पाँच करोड़ से अधिक परन्तु ₹ 10 करोड़ से कम।

2.18 ब्याज का आरोपण नहीं किया जाना

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 39 (4) की उपधारा (ii) के प्रावधानों के तहत अगर विहित प्राधिकारी को यह पता चलता है कि कोई व्यवसायी अपने आवर्त अथवा उसके किसी विवरण की गलत घोषणा की है और इस प्रकार इस अधिनियम के तहत अपनी कर की देयता को कम कर दिया है, तब वह व्यवसायी किसी भी कार्रवाई के तहत निर्धारित कर की राशि के अतिरिक्त कर का भुगतेय होने कि तिथि से पूर्व में स्वीकृत राशि तथा अंतिम रूप से निर्धारित कर की अन्तर की राशि पर प्रत्येक कैलेन्डर माह या उसके किसी भाग के लिए 1.5 प्रतिशत के दर पर साधारण ब्याज का भुगतान करेगा।

हमलोगों ने दो वाणिज्य-कर अंचलों (पाटलीपुत्र एवं पटना सिटी पूर्वी) में मार्च 2012 तथा फरवरी 2013 के बीच पाया कि तीन व्यवसायियों (संवीक्षित) ने वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 के बीच की अवधि के दौरान ₹ 18.39 करोड़ का कर स्वीकार किया था। निर्धारण प्राधिकारी, नवंबर 2011 एवं जनवरी 2013 के बीच कर निर्धारण पूरा करते समय व्यवसायियों द्वारा कटौतियों/भुगतान के दावे को अमान्य करने के बाद ₹ 20.57 करोड़ के कर का आरोपण किया, किन्तु ₹ 2.18 करोड़ के निर्धारित कर की अन्तर राशि पर कोई भी ब्याज का आरोपण

नहीं किया गया जैसाकि अधिनियम के प्रावधानों में विहित है। इस प्रकार निर्धारण प्राधिकारियों ने उक्त अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जिसके फलस्वरूप ₹ 69.23 लाख के ब्याज का आरोपण नहीं हुआ।

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), केन्द्रीय प्रमंडल पटना ने अक्टूबर 2013 में पाटलीपुत्र अंचल के एक मामले में तथ्य को स्वीकार किया एवं ₹ 4.26 लाख की वसूली की। शेष मामलों में उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं।

मामले सरकार को जुलाई 2013 में प्रतिवेदित किये गये थे; उनके उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (नवंबर 2013)।

2.19 कर का अधिक संग्रहण

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 43 (2) के प्रावधानों के तहत कोई भी निबंधित व्यवसायी किसी भी व्यक्ति से, अधिनियम के अधीन भुगतेय कर की राशि से अधिक का संग्रहण नहीं करेगा। पुनः उक्त अधिनियम की धारा 43 (3) यह प्रावधित करता है कि प्रावधान के उल्लंघन के मामले में संग्रहित राशि की दुगुनी राशि के बराबर, अर्धदण्ड के रूप में आरोप्य है।

हमलोगों ने फरवरी 2012 एवं मार्च 2013 के बीच तीन वाणिज्य-कर अंचलों²⁵ में पाया कि तीन व्यवसायियों (स्व-कर निर्धारित) ने वर्ष 2008-09 एवं 2010-11 के बीच ₹ 9.18 करोड़ का कर संग्रह किया एवं जमा किया, जबकि उक्त अवधि में उनकी कर की देयता सिर्फ ₹ 9.03 करोड़ की थी। अतः व्यवसायियों ने उक्त अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध ₹ 14.81 लाख अधिक कर संग्रहित

²⁵

भागलपुर, दरभंगा एवं पटना सिटी पश्चिमी।

किया। रिटर्न की संवीक्षा नहीं किए जाने के कारण निर्धारण प्राधिकारी अधिक कर संग्रह का पता नहीं लगा सके, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 29.61 लाख के अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया गया।

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद निर्धारण प्राधिकारी, पटना सिटी पूर्वी अंचल ने अक्टूबर 2013 में एक मामले में तथ्य को स्वीकार किया एवं ₹ 8.10 लाख का माँग सृजित किया। स्वीकृत मामलों में वसूली एवं शेष मामलों में उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं।

मामले सरकार को जुलाई 2013 में प्रतिवेदित किये गये थे; उनके उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (नवंबर 2013)।

2.20 रिवर्स क्रेडिट की संगणना नहीं / कम किया जाना

बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 15 एवं 16 के तहत एक विनिर्माता व्यवसायी रिवर्स क्रेडिट लेगा जब वह वस्तुओं का अंतर्राज्यीय भंडार अंतरण करेगा अथवा अनुसूची-I में वर्णित वस्तुओं के अलावे किसी इनपुट से अनुसूची-I के वस्तुओं का विनिर्माण करेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि, जिसके लिए व्यवसायी हकदार है, की संगणना खरीदों पर भुगतान किए गए इनपुट टैक्स की राशि में से रिवर्स क्रेडिट को घटाने के बाद की जाएगी।

हमलोगों ने अप्रैल 2012 एवं फरवरी 2013 के बीच चार वाणिज्य-कर अंचलों²⁶ में चार विनिर्माता व्यवसायियों (कर निर्धारित: दो तथा स्व-कर निर्धारित: दो) के रिटर्न से पाया कि वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 के बीच की अवधि के दौरान उन्होंने या तो अनुसूची-I के वस्तुओं का विनिर्माण किया था अथवा करदेय विनिर्मित वस्तुओं का अंतर्राज्यीय भंडार अंतरण किया था। इन वस्तुओं के लिए इनपुट का क्रय राज्य के अंदर से राज्य में उन पर कर का भुगतान करने के पश्चात् किया था, जिसके लिए व्यवसायी

द्वारा ₹ 2.56 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया गया था। यद्यपि व्यवसायियों को रिवर्स क्रेडिट की संगणना करनी थी तथा उसे कुल इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि से घटाना था, परंतु व्यवसायियों द्वारा ₹ 13.88 लाख के रिवर्स क्रेडिट की या तो संगणना नहीं की गई अथवा कम संगणित किया गया। निर्धारण प्राधिकारी कर निर्धारित मामलों में भी इस चूक का पता नहीं लगा सके और दो मामले असंवीक्षित रह गए जो विभाग में अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण को इंगित करता है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 28.31 लाख के आरोप्य अर्थदण्ड एवं ₹ 2.94 लाख के ब्याज सहित ₹ 45.13 लाख के इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिक अनुमति दिया गया।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद निर्धारण प्राधिकारी, हाजीपुर ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया एवं ₹ 1.43 लाख का माँग सृजित किया और निर्धारण प्राधिकारी, सासाराम ने ₹ 5.66 लाख की वसूली की, जबकि निर्धारण प्राधिकारी, बेगुसराय ने कहा कि लेखापरीक्षा ने बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली के नियम 16 (2) (बी) में वर्णित फार्मूला को अपनाया है जो विनिर्माण इकाई के लिए नहीं है, यह उक्त नियमावली के नियम 15 (2) के अनुसार होना चाहिए। उत्तर उपरोक्त नियमावली के नियम 16 (2) (ए) (बी) (सी) के तहत वर्णित प्रावधानों के अनुरूप नहीं है जो स्पष्ट वर्णित करता है कि नियम 14 एवं नियम 15 में किसी बात के होते हुए भी प्रत्येक व्यवसायी, जिनपर नियम 15 का प्रावधान लागू है, वार्षिक रिटर्न दाखिल करते समय अथवा उससे पहले, वर्ष के दौरान प्राप्त रिवर्स क्रेडिट, अगर कोई हो, की कुल राशि

²⁶

बेगुसराय, हाजीपुर, पटना सिटी पूर्वी एवं सासाराम।

का पुनरीक्षित संगणना करेगा। पुनरीक्षित रिवर्स क्रेडिट की संगणना नियम 16 (2) (बी) एवं (सी) के तहत विहित तरीके से की जायेगी। पुनः नियम 16 (2) (डी) उपबंधित करता है कि इस उपधारा के उपबंध (सी) के प्रावधानों के शर्तों के अनुसार संगणित पुनरीक्षित रिवर्स क्रेडिट अगर उपधारा (1) के तहत संगणित पूरे वर्ष के लिए रिवर्स क्रेडिट के योग से भिन्न है, तब व्यवसायी उन मामलों में जहाँ इस उपनियम के उपबंध (सी) के प्रावधान के तहत संगणित पुनरीक्षित रिवर्स क्रेडिट उपनियम (1) के अंतर्गत संगणित पूरे वर्ष हेतु रिवर्स क्रेडिट के योग से अधिक है, अन्तर राशि का भुगतान करेगा तथा वार्षिक रिटर्न के साथ भुगतान का साक्ष्य देगा।

मामला सरकार को जून 2013 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2013)।

2.21 स्वीकृत कर का कम भुगतान तथा विलम्ब से भुगतान हेतु ब्याज का आरोपण नहीं किया जाना

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 24 के प्रावधानों के तहत, प्रत्येक व्यवसायी प्रत्येक माह से संबधित भुगतेय कर का भुगतान आगामी माह के पन्द्रहवें दिन या उसके पहले करेगा, जिसमें विफल रहने पर व्यवसायी भुगतेय होने की तिथि तथा इसके भुगतान की नियत तिथि से देय राशि पर 1.5 प्रतिशत प्रति माह के दर पर ब्याज का भुगतान करने हेत दायी होगा।

उक्त अधिनियम की धारा 25 (1) के प्रावधानों के तहत विहित प्राधिकारी, समय सीमा के भीतर (अगले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक, जिससे रिटर्न संबधित है) तथा विहित तरीके से धारा 24 के उप धारा (1) एवं (3) के तहत जमा किये गये प्रत्येक रिटर्न का उसके साक्ष्य को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संवीक्षा करेगा, जैसा कि कर तथा भुगतेय ब्याज के भुगतान के संबध में प्रस्तुत किया जाना विहित हो।

- हमलोगों ने फरवरी एवं मई 2012 के बीच तीन वाणिज्य-कर अंचलों²⁷ में पाया कि चार व्यवसायियों (स्व-कर निर्धारित) ने वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 के दौरान ₹ 17.21 लाख का स्वीकृत कर का भुगतान कम किया था। हालाँकि निर्धारण प्राधिकारी को रिटर्न की संवीक्षा करनी चाहिए थी तथा कर भुगतान के साक्ष्य को देखने एवं तदनुसार व्यवसायी को नोटिस निर्गत करने की आवश्यकता थी, किन्तु लेखापरीक्षा की तिथि तक संवीक्षा नहीं की गई थी, जो विभाग में नियंत्रण में कमजोरी की ओर इंगित करता है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 16.38 लाख के आरोप्य ब्याज सहित ₹ 33.59 लाख के

स्वीकृत कर के कम भुगतान का पता नहीं चल पाया।

- हमलोगों ने मई 2012 एवं अप्रैल 2013 के बीच दो वाणिज्य-कर अंचलों (हाजीपुर एवं मुजफ्फरपुर पश्चिमी) में पाया कि दो व्यवसायियों (स्व-कर निर्धारित) ने वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 की अवधि के दौरान अपने स्वीकृत कर का भुगतान तीन से 798 दिनों के विलम्ब से किया था। मामले निर्धारण प्राधिकारी द्वारा संवीक्षित नहीं थे तथा जिसके कारण ब्याज आरोपित नहीं किया जा सका। जिसके फलस्वरूप ₹ 15.17 लाख के ब्याज का आरोपण नहीं हुआ।

²⁷

दानापुर, मोतीहारी एवं पटना सिटी पश्चिमी।

हमलोगों के इंगित किए जाने के बाद निर्धारण प्राधिकारी/संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार (मई एवं अक्टूबर 2013 के बीच) किया एवं ₹ 15.17 लाख का माँग सृजित किया। दोनों स्वीकृत मामलों में वसूली हेतु हम प्रतीक्षित हैं।

मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्रक्षेत्र) की कंडिका 2.13 में इस तरह के तथ्यों के जबाब में विभाग ने प्रतिवेदित किया कि कुछ मामलों में मांगपत्र निर्गत किये जा चुके हैं। इस तरह के चूकों/अनियमितताओं की प्रकृति अभी भी जारी है, जो राजस्व के निरंतर रिसाव को रोकने हेतु विभाग के आंतरिक नियंत्रण तंत्र की अप्रभावशीलता को दर्शाता है।

मामले सरकार को मई एवं जुलाई 2013 में प्रतिवेदित किये गये थे; उनके उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (नवंबर 2013)।

2.22 कर के भुगतान का अनियमित साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के कारण कर का कम आरोपण

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 25 (1) के प्रावधानों के तहत विहित प्राधिकारी, समय सीमा के अन्दर तथा विहित तरीकों से प्रत्येक रिटर्न की संवीक्षा अन्य बातों के साथ-साथ यह सुनिश्चित करने के लिए करेगा कि कर के भुगतान एवं ब्याज, अगर कोई हो, से संबंधित साक्ष्य, जैसा कि विहित है, प्रस्तुत की गई है। बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली के नियम 29 (4) प्रावधित करता है की कार्य संवेदक, जिनके विपत्र से कटौतियाँ की गई है, वे उपरोक्त अधिनियम की धारा 24 के तहत दाखिल रिटर्न के साथ-साथ स्रोत पर कटौती द्वारा कर के भुगतान के साक्ष्य के रूप में सी-II की 'मूल प्रति' निर्धारण प्राधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।

हमलोगों ने पटना विशेष वाणिज्य-कर अंचल में मार्च 2013 में पाया कि एक व्यवसायी के मामले में निर्धारण प्राधिकारी ने वर्ष 2010-11 के लिए जुलाई 2012 में ₹ 5.58 लाख के कर का निर्धारण किया। व्यवसायी ने विभिन्न कर कटौती प्राधिकारों द्वारा की गई कर के भुगतान की कटौती के साक्ष्य के रूप में 'सी-II' प्रस्तुत किया। प्रस्तुत 'सी-II' की संवीक्षा से हमने पाया कि पूर्व मध्य रेलवे, पटना द्वारा निर्गत ₹ 27.73 लाख के दो 'सी-II' वास्तव में किसी और व्यवसायी के पक्ष में निर्गत थे। अतः व्यवसायी ने दूसरे व्यवसायी के पक्ष में निर्गत दो 'सी-II' के आधार पर ₹ 27.73

लाख के कर दायित्व के समायोजन का अनियमित दावा किया, जिसे निर्धारण प्राधिकारी द्वारा कर निर्धारण को पूरा करते समय पता नहीं लगाया जा सका। इसके परिणामस्वरूप ₹ 27.73 लाख के कर का कम आरोपण हुआ।

मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्रक्षेत्र) की कंडिका 2.10 में इस तरह के तथ्यों के जबाब में विभाग ने प्रतिवेदित किया कि मांगपत्र निर्गत किये जा चुके हैं। इस तरह के चूकों/अनियमितताओं की प्रकृति अभी भी जारी है, जो राजस्व के निरंतर रिसाव को रोकने हेतु विभाग के आंतरिक नियंत्रण तंत्र की अप्रभावशीलता को दर्शाता है।

मामले सरकार को जुलाई 2013 में प्रतिवेदित किए गए थे; उनके उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (नवम्बर 2013)।

2.23 बिक्री वापसी के मद में कटौती की गलत अनुमति

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 35 (1) (ई) के प्रावधानों के तहत एक व्यवसायी बिक्री की गई वस्तुओं के मूल्य, परन्तु मूल बिक्री की तिथि से छः महीने के अन्दर व्यवसायी को वापस कर दिये गये तथा जिसके संबंध में उपरोक्त अधिनियम की धारा 53 में विनिर्दिष्ट एक क्रेडिट नोट विक्रेता व्यवसायी द्वारा क्रेता व्यवसायी को निर्गत किया गया हो, कटौती लेने हेतु योग्य है।

हाजीपुर वाणिज्य-कर अंचल में मई 2012 में हमने पाया कि एक स्व-कर निर्धारित व्यवसायी ने वर्ष 2009-10 के दौरान बिक्री वापसी के मद में ₹ 80.39 लाख की कटौती का लाभ लिया। परन्तु व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत क्रेडिट नोट्स की जाँच से यह पाया गया कि व्यवसायी ने वास्तव में अपने दावे के समर्थन में मात्र ₹ 7.32 लाख मूल्य का क्रेडिट नोट प्रस्तुत किया था।

इस प्रकार व्यवसायी ₹ 73.07 लाख मूल्य के वस्तुओं पर कर भुगतान करने हेतु उत्तरदायी था। ऐसे अमान्य दावे पर कर दायित्व आरोप्य ब्याज सहित ₹ 12.42 लाख²⁸ संगणित की गई।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद निर्धारण प्राधिकारी ने तथ्य को स्वीकार (जनवरी 2013) किया और ₹ 12.42 लाख हेतु माँग का सृजन किया। हम मामले में वसूली हेतु प्रतीक्षित हैं।

मामला सरकार को फरवरी एवं जुलाई 2013 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2013)।

2.24 छूट का अधिक लाभ लिया जाना

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 24 (12) के प्रावधानों के तहत एक निबंधित व्यवसायी, जिन्होंने इस धारा के तहत विनिर्दिष्ट देय तिथि के भीतर अपना रिटर्न प्रस्तुत किया है तथा इस धारा के अन्तर्गत कर के भुगतान के लिए विनिर्दिष्ट तिथि से पहले पूर्ण राशि का भुगतान किया हो, तब उसे उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रस्तुत रिटर्न में देय स्वीकृत कर का आधा प्रतिशत की दर पर, अधिकतम एक वर्ष में ₹ 50,000 तक छूट की अनुमति दी जायेगी।

पटना विशेष अंचल में मार्च 2013 में हमने पाया कि एक स्व-कर निर्धारित व्यवसायी ने वर्ष 2009-10 के दौरान अपने वार्षिक रिटर्न में ₹ 8.97 लाख की छूट का लाभ लिया। बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 24 (12) के तहत अधिकतम सीमा ₹ 50,000 विहित थी। इस प्रकार, व्यवसायी ने ₹ 8.47 लाख

के छूट का अधिक दावा किया जो मामले की संवीक्षा नहीं किये जाने के कारण निर्धारण प्राधिकारी द्वारा पता नहीं लगाया जा सका और इस तरह व्यवसायी ₹ 4.44 लाख के ब्याज सहित ₹ 12.91 लाख के भुगतान हेतु उत्तरदायी था।

²⁸

₹ 73,06,738 पर 12.5 प्रतिशत की दर पर कर = ₹ 9,13,334

₹ 9,13,334 पर 1.5 प्रतिशत की दर से ब्याज = ₹ 3,28,799

(24 माह के लिए)

कुल = ₹ 12,42,133

मामला सरकार को जुलाई 2013 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2013)।

ख: प्रवेश कर

2.25 आयात मूल्य के छिपाव के कारण प्रवेश कर का कम आरोपण

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 31(2) के साथ पठित बिहार प्रवेश कर अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों के तहत यदि विहित प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि अधिनियम के अन्तर्गत किसी कर निर्धारण, मालों की बिक्री अथवा क्रय से संबंधित कोई कर का अवनिर्धारण हुआ है अथवा कर निर्धारण से वंचित रह गया है तब विहित प्राधिकारी ऐसे व्यवसायी द्वारा देय कर का चार वर्षों के भीतर कर निर्धारण अथवा पुनर्निर्धारण करेगा। विक्रय अथवा क्रय अथवा इनपुट टैक्स क्रेडिट का पूर्ण एवं सही ब्योरा देने में व्यवसायी द्वारा जानबूझ कर गलती किए जाने की स्थिति में विहित प्राधिकारी भुगतये ब्याज की राशि के अलावे छूटे हुए कर निर्धारण पर कर की राशि का तीन गुणा के समतुल्य अर्थदण्ड आरोपित करेगा। आरोपित अर्थदण्ड छूटे हुए आवर्त पर कर की राशि के अतिरिक्त होगा।

हमने पाया कि संवीक्षा के प्रावधान में विशेष रूप से रिटर्न में दर्शाये गये आवर्त की जाँच व्यवसायी के रिटर्न की संवीक्षा करते समय उसके अन्य अभिलेखों, जैसे कि रोड परमिट की उपयोगिता विवरणी, घोषणा प्रपत्रों तथा साथ ही साथ टैक्स आडिट रिपोर्ट अथवा अन्य व्यवसायियों के अभिलेखों से प्राप्त बिक्री एवं क्रय से संबंधित सूचनाओं से करने का प्रावधान नहीं था।

वर्ष 2012-13 के दौरान 40 वाणिज्य-कर अंचलों के 3,454 मामलों की नमूना जाँच की तथा हमने नौ वाणिज्य कर अंचलों²⁹ के 12 व्यवसायियों (संवीक्षित: एक एवं स्व-कर निर्धारित 11) द्वारा दाखिल रिटर्न के साथ रोड परमिट की उपयोगिता, घोषणा प्रपत्रों इत्यादि की तिर्यक जाँच में पाया कि व्यवसायियों ने अपने रिटर्न में ₹ 3,424.56 करोड़ मूल्य के अनुसूचित वस्तुओं³⁰ का आयात दिखलाया था जबकि

वास्तविक आयात ₹ 3,644.37 करोड़ का था जैसाकि घोषणापत्र सी³¹ ई.टी. V³² इत्यादि में दर्शाया गया था और इस प्रकार वर्ष 2008-09 एवं 2010-11 के बीच की अवधि के दौरान ₹ 219.81 करोड़ के अनुसूचित वस्तुओं के आयात/क्रय का छिपाव किया। तिर्यक जाँच की प्रणाली के अभाव के साथ-साथ रिटर्न की संवीक्षा निर्धारण प्राधिकारी द्वारा नहीं किये जाने (12 में से 11) के फलस्वरूप ₹ 59.37 करोड़ के आरोप्य अर्थदण्ड एवं ₹ 7.72 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 86.88 करोड़ के प्रवेश कर का कम आरोपण हुआ, जैसा कि परिशिष्ट-VI में वर्णित है। यह अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन के प्रति विभाग में नियंत्रण कमजोरी को दर्शाता है।

²⁹ भभुआ, भागलपुर, फारबिसगंज, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर पूर्वी, नवादा, पटना विशेष, सारण एवं शाहाबाद।

³⁰ अधिसूचित वस्तुओं का अर्थ है बिहार प्रवेश कर अधिनियम के अनुसूची में विनिर्दिष्ट वस्तुएं।
³¹ प्रपत्र सी- अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के क्रम में रियायती दर पर वस्तुओं के क्रय हेतु उपयोग में लाया जाता है।

³² ई.टी.-V- प्रवेश कर अधिनियम, 1993 के तहत विहित वार्षिक रिटर्न, जिसे व्यवसायी द्वारा वर्ष के दौरान अनुसूचित वस्तुओं के आयात हेतु प्रस्तुत किया जाता है।

हमारे द्वारा इंगित किए जाने के बाद निर्धारण प्राधिकारी/संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) ने चार अंचलों³³ के चार व्यवसायियों के संबंध में सितम्बर 2012 एवं अक्टूबर 2013 के बीच लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और ₹ 1.28 करोड़ का माँग सृजित किया। स्वीकृत मामलों में वसूली के संबंध में सूचना प्रतीक्षित है और शेष मामलों में उत्तर अब तक उपलब्ध नहीं कराया गया है।

इसी तरह के मामलें मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्रक्षेत्र) की कंडिका 2.14 में भी उठाया जा चुका है। इस तरह की चूकों/अनियमितताओं की प्रकृति अभी भी जारी है जो राजस्व के निरंतर रिसाव को रोकने हेतु विभाग के आंतरिक नियंत्रण तंत्र की अप्रभावशीलता को दर्शाता है।

मामले सरकार को जुलाई 2013 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके जवाब के लिए हम प्रतीक्षित हैं (नवम्बर 2013)।

2.26 प्रवेश कर का गलत दर लगाया जाना

बिहार प्रवेश कर अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों के तहत अनुसूचित मालों के स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश पर उन वस्तुओं के आयात मूल्य पर उस दर से, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा राजकीय गजट में प्रकाशित अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया गया हो तथा जो 20 प्रतिशत से अधिक न हो, कर का आरोपण एवं संग्रहण किया जाएगा, बशर्ते कि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न अनुसूचित मालों एवं भिन्न-भिन्न स्थानीय क्षेत्रों हेतु विभिन्न दर विनिर्दिष्ट किया गया हो। पुनः बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 31 (2) के साथ पठित बिहार प्रवेश कर अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों के तहत छूटे हुए कर निर्धारण पर कर की राशि की तिगुना अर्थदण्ड एवं अवनिर्धारित राशि पर 1.5 प्रतिशत प्रति माह की दर पर ब्याज भी आरोप्य है।

हमने वर्ष 2012-13 के दौरान 40 वाणिज्य-कर अंचलों के 3,454 मामलों का नमूना जाँच किया तथा पाया कि चार वाणिज्य-कर अंचलों³⁴ के छः व्यवसायियों (स्व-कर निर्धारित) ने वर्ष 2008-09 एवं 2010-11 के बीच ₹ 21.06 करोड़ के अनुसूचित वस्तुओं का आयात किया एवं अपने रिटर्न में विहित दर से कम दर पर प्रवेश कर स्वीकार करते हुए कर निर्धारित किया। यद्यपि निर्धारण प्राधिकारी को विहित समय के भीतर रिटर्न की संवीक्षा करनी थी तथा कर के सही दर लगाये जाने की जाँच करनी थी, लेकिन यह किसी भी मामलें में नहीं किया गया था, जो

अधिनियम/नियमावली के प्रावधान के अनुपालन के प्रति विभाग में नियंत्रण की कमजोरी को इंगित करता है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.51 करोड़ के आरोप्य अर्थदण्ड एवं ₹ 28.44 लाख के ब्याज सहित ₹ 3.63 करोड़ के प्रवेश कर का अवनिर्धारण हुआ, जैसा कि परिशिष्ट-VII में वर्णित है।

हमारे द्वारा मार्च 2012 एवं मार्च 2013 के बीच इंगित किए जाने के बाद संबंधित संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) ने तथ्यों को स्वीकार (जनवरी और अगस्त 2013 के बीच) किया तथा पाटलीपुत्र अंचल के दो व्यवसायियों के मामले में ₹ 72.16 लाख का माँग सृजित किया था और पाटलीपुत्र एवं मुजफ्फरपुर (पूर्वी) अंचल के दो व्यवसायियों से ₹ 42.62 लाख की वसूली भी प्रतिवेदित किया। हम स्वीकृत मामलों में वसूली एवं शेष मामलों में जवाब के लिए प्रतीक्षित हैं।

³³ भभुआ, फारबिसगंज, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर पूर्वी।

³⁴ फारबिसगंज, मुजफ्फरपुर पूर्वी, पाटलीपुत्र और समस्तीपुर।

मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्रक्षेत्र) की कंडिका 2.15 में इस तरह के तथ्यों के जबाब में विभाग ने प्रतिवेदित किया कि कुछ मामलों में मांगपत्र निर्गत किये जा चुके हैं। इस तरह के चूकों/अनियमितताओं की प्रकृति अभी भी जारी है, जो राजस्व के निरंतर रिसाव को रोकने हेतु विभाग के आंतरिक नियंत्रण तंत्र की अप्रभावशीलता को दर्शाता है।

मामला जून 2013 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (नवम्बर 2013)।

2.27 निबंधन नहीं किए जाने के कारण प्रवेश कर एवं अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जाना

बिहार प्रवेश कर अधिनियम की धारा 5 के साथ पठित बिहार प्रवेश कर नियमावली के नियम 3 के प्रावधानों के तहत प्रत्येक व्यवसायी, जो अनुसूचित वस्तुओं के आयात के कारण प्रवेश कर अधिनियम के अन्तर्गत कर के भुगतान हेतु दायी हैं, उन्हें कर के भुगतान हेतु दायी होने के सात दिनों के अंदर अंचल के प्रभारी पदाधिकारी को निबंधन हेतु एक आवेदन देना होगा। पुनः बिहार प्रवेश कर अधिनियम की धारा 8 के साथ पठित बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 28 के प्रावधानों के तहत यदि विहित प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि कोई व्यवसायी कर का भुगतान करने हेतु दायी था और निबंधन के लिए आवेदन करने में जानबूझकर विफल था, तब वे स्वविवेक से देय कर की राशि, अगर कोई हो, का निर्धारण करेंगे तथा वे निर्देश देंगे कि व्यवसायी कर की निर्धारित राशि के अतिरिक्त, प्रत्येक चूक दिवस के लिए एक सौ रुपये की राशि अथवा निर्धारित कर की राशि के समतुल्य राशि, जो भी अधिक हो, का भुगतान अर्थदण्ड के रूप में करेगा।

हमलोगों ने वर्ष 2012-13 के दौरान 40 वाणिज्य-कर अंचलो के 3,454 मामलों की नमूना जाँच की तथा नौ वाणिज्य-कर अंचलों³⁵ में बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के तहत निबंधित 16 व्यवसायियों (संवीक्षित: दो, स्वकर-निर्धारित: 14) के टैक्स आडिट रिपोर्ट, घोषणा प्रपत्रों की उपयोगिता विवरणी इत्यादि की जाँच से हमने पाया कि वर्ष 2008-09 से 2010-11 के दौरान ₹ 153.64 करोड़ मूल्य के विभिन्न अनुसूचित वस्तुओं का आयात किया था। हालाँकि बिहार प्रवेश कर अधिनियम के तहत उन्होंने अपना निबंधन नहीं कराया था, जबकि वे ऐसा करने हेतु दायी थे। संवीक्षित मामलों में भी कर निर्धारण प्राधिकारी निबंधन नहीं कराये जाने के तथ्यों का पता नहीं

लगा सके, जबकि निबंधन हेतु उनके दायित्व से संबंधित सूचना निर्धारण प्राधिकारी के पास मूल्यवर्द्धित कर अभिलेख पर उपलब्ध था, जो अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों के अनुपालन के प्रति निर्धारण प्राधिकारियों की उदासीनता को इंगित करता है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 6.61 करोड़ के प्रवेश कर का आरोपण नहीं हुआ। इसके अलावे ₹ 6.61 करोड़ का अर्थदण्ड भी आरोप्य था (परिशिष्ट-VIII)।

हमारे द्वारा इंगित किए जाने के बाद निर्धारण प्राधिकारी, गया ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और ₹ 3.42 लाख के माँग का सृजन किया। हमलोग स्वीकृत मामले में वसूली एवं शेष मामलों में जवाब हेतु प्रतीक्षित हैं।

³⁵ भागलपुर, दानापुर, गाँधी मैदान, गया, मधेपुरा, नवादा, पटना दक्षिणी, पटना पश्चिमी और पूर्णिया।

मामला सरकार को मार्च और जुलाई 2013 के बीच प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (नवम्बर 2013)।

2.28 प्रवेश कर का वसूली नहीं/कम वसूली किया जाना

2.28.1 प्रवेश कर की कम वसूली

बिहार प्रवेश कर अधिनियम की धारा 8 के साथ पठित बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 24 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक व्यवसायी प्रत्येक माह से संबंधित भुगतेय कर अगले माह के 15 तारीख अथवा उससे पहले जमा करेगा, इसमें विफल रहने पर देय राशि का 1.5 प्रतिशत की दर से ब्याज, देय कर की तिथि से और जिस तिथि से भुगतान के लिए देय है, व्यवसायी उत्तरदायी होगा।

बिहार प्रवेश कर अधिनियम की धारा 8 के साथ पठित बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम की धारा 25 (1) के प्रावधानों के अन्तर्गत विहित प्राधिकारी निर्धारित समय-सीमा के अन्दर विहित तरीके से भुगतेय कर एवं देय ब्याज से संबंधित उपलब्ध कराए गए साक्ष्य, जैसा कि विहित है, को सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक रिटर्न की संवीक्षा करेंगे।

हमलोगों ने वर्ष 2012-13 के दौरान 40 वाणिज्य-कर अंचलों के 3,454 मामलों की नमूना जाँच की तथा पाया कि तीन वाणिज्य-कर अंचलों³⁶ के तीन व्यवसायियों (स्व-कर निर्धारित) ने वर्ष 2008-09 से 2010-11 के दौरान ₹ 1.20 करोड़ के प्रवेश कर की देयता अपने वार्षिक रिटर्न में स्वीकार किया था लेकिन उन्होंने वास्तव में केवल ₹ 48.14 लाख के प्रवेश कर का ही भुगतान किया था। विहित समय-सीमा के अन्दर रिटर्न की संवीक्षा नहीं करने के कारण निर्धारण प्राधिकारी स्वीकृत कर के कम भुगतान का पता नहीं लगाए जो कि अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों के अनुपालन में विभाग में नियंत्रण की कमी को संसूचित करता है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 31.34 लाख के आरोप्य ब्याज सहित ₹ 1.03 करोड़ के स्वीकृत प्रवेश कर की वसूली नहीं हुई।

मामले सरकार को जुलाई 2013 में प्रतिवेदित किये गये थे; उनके उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (नवम्बर 2013)।

2.28.2 प्रवेश कर की वसूली नहीं होना

हमने जून 2012 में भभुआ वाणिज्य-कर अंचल में पाया कि एक व्यवसायी (स्व-कर निर्धारित) ने अपने रिटर्न में प्रवेश कर की देयता स्वीकार नहीं किया था और न ही प्रवेश कर का भुगतान किया था। लेकिन घोषणा प्रपत्रों की उपयोगिता विवरणी की जाँच से यह ज्ञात हुआ कि व्यवसायी ने वस्तुतः वर्ष 2008-09 के दौरान ₹ 3.81 करोड़ मूल्य के अनुसूचित वस्तुओं का आयात किया था। विहित समय सीमा के अन्दर रिटर्न की संवीक्षा नहीं करने के कारण कर निर्धारण प्राधिकारी प्रवेश कर के भुगतान नहीं होने का पता नहीं लगा सके जिसके फलस्वरूप ₹ 17.39 लाख के आरोप्य ब्याज सहित ₹ 47.91 लाख के प्रवेश कर की वसूली नहीं हुई।

मामला सरकार को जुलाई 2013 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (नवम्बर 2013)।

³⁶

पटना सिटी पश्चिमी, पटना विशेष और सारण।

ग: विलासिता कर

2 29 विलासिता कर का कम आरोपण

बिहार होटलों में विलासिता पर करारोपण अधिनियम, 1988 की धारा 2 (एम) के प्रावधानों के तहत, 'किराया' का अर्थ एक होटल के एक कमरे में रहने वाले व्यक्ति से वसूल किए गए सभी प्रभारों का योग होगा, चाहे उसे कुछ भी नाम दिया गया हो तथा इसमें आवास, भोजन अथवा सेवा प्रभार शामिल है। उपरोक्त अधिनियम की धारा 3 (2) उपबंधित करता है कि ऐसे कमरा अथवा विलासिता से सज्जित कमरों, जो प्रति दिन ₹ एक हजार अथवा उससे अधिक के किराये का हो, पर 10 प्रतिशत के दर से कर का आरोपण किया जाएगा एवं मालिक इसका भुगतान करेंगे। पुनः उपरोक्त अधिनियम की धारा 10 प्रावधित करता है कि किसी मालिक द्वारा देय अथवा विस्तारित अवधि के अन्दर कर का भुगतान करने में विफल रहने के मामले में, चूक के प्रत्येक दिन के लिए ₹50 के दर से संगणित राशि अथवा कुल देय कर की राशि पर प्रति माह एवं उसके किसी भाग के लिए ढाई प्रतिशत के दर से ब्याज, जो भी अधिक हो, वे भुगतान हेतु दायी होंगे।

हमलोगों ने मार्च 2012 में पटना पश्चिमी वाणिज्य-कर अंचल में पाया कि एक व्यवसायी ने वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 के लिए क्रमशः ₹ 7.46 करोड़ एवं ₹ 8.11 करोड़ का सकल किराया स्वीकार किया था। कर निर्धारण आदेश/रिटर्न की तिर्यक जाँच व्यवसायी के लाभ एवं हानि लेखे से किए जाने पर हमने पाया इस अवधि के दौरान कमरे के किराये के रूप में व्यवसायी ने वास्तव में क्रमशः ₹ 8.09 करोड़ एवं ₹ 8.51 करोड़ प्राप्त किया था। इस प्रकार व्यवसायी ने सकल किराया के रूप में प्राप्त ₹ 1.03 करोड़ का छिपाव किया था। मई 2009 एवं जून 2010 में कर निर्धारण करते समय निर्धारण प्राधिकारी आवर्त के छिपाव का पता नहीं लगा सके, जबकि व्यवसायी के अभिलेख पर समुचित साक्ष्य उपलब्ध था। इसके फलस्वरूप आरोप्य ब्याज सहित ₹ 18.05 लाख³⁷ के विलासिता कर का कम आरोपण हुआ।

मामला सरकार को अगस्त 2012 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (नवम्बर 2013)।

37

विलासिता कर की संगणना:

(राशि ₹ में)

| वर्ष | लाभ एवं हानि लेखे के अनुसार कमरा किराया की वास्तविक प्राप्ति | रिटर्न में दर्शायी गई कमरे किराये की राशि | अंतर (छिपाव राशि) | 10 प्रतिशत की दर से विलासिता कर का कम आरोपण | आरोप्य ब्याज | कुल |
|------------|--|---|-------------------|---|---------------|----------------|
| 2008-09 | 80909675 | 74615783 | 6293892 | 629389 | 550715 | 1180104 |
| 2009-10 | 85111895 | 81145805 | 3966090 | 396609 | 228050 | 624659 |
| कुल | 166021570 | 155761588 | 10259982 | 1025998 | 778765 | 1804763 |

घ : विद्युत शुल्क

2.30 विद्युत शुल्क के छूट की अनियमित अनुमति

बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 की धारा 3(1) उपबंधित करता है कि, उपधारा (2) के अलावे, ईकाईयों पर अथवा खपत या बिक्री की गई उर्जा के मूल्य पर, संचरण एवं रूपान्तरण में उर्जा के ह्रास को छोड़कर, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट दर अथवा दरों पर एक शुल्क आरोपित होगा तथा राज्य सरकार को भुगतान किया जायेगा। उपधारा (2) उपबंधित करता है कि (क) भारत सरकार द्वारा खपत की गई उर्जा अथवा उस सरकार द्वारा खपत हेतु भारत सरकार को बिक्री; (ख) रेलवे का संचालन करने वाले किसी रेलवे कम्पनी के निर्माण, रखरखाव अथवा संचालन में खपत अथवा उस सरकार या ऐसी किसी रेलवे कम्पनी को निर्माण, रखरखाव अथवा उस सरकार या ऐसी किसी रेलवे कम्पनी को निर्माण, रखरखाव अथवा किसी रेलवे के संचालन में खपत हेतु की गई बिक्री; (ग) अपने विद्युत उपक्रम के निर्माण, रखरखाव एवं संचालन में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा खपत; (घ) किसी श्रेणी के व्यक्तियों द्वारा खपत अथवा उनके द्वारा बिक्री, जिन्हें धारा 9 के तहत शुल्क के भुगतान हेतु छूट दी गई हो; (ङ) विद्युत के उत्पादन, संचरण एवं वितरण हेतु दामोदर घाटी निगम द्वारा खपत; (च) किसी अन्य प्रयोजन, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, इसे लोक हित में घोषित किया गया हो तथा ऐसी छूट ऐसे किसी शर्त एवं छूट, अगर कोई है, के तहत हो जैसा कि उक्त अधिसूचना में वर्णित है, उर्जा की ईकाई पर शुल्क आरोपित नहीं होगा।

मार्च 2013 में हमने पटना विशेष अंचल में पाया कि एक अनुज्ञप्तिधारी को वर्ष 2006-07 से 2011-12 की अवधि के लिए निर्धारण प्राधिकारी द्वारा जनवरी 2013 में कर निर्धारण करते समय ₹ 2,489.29 करोड़ (5617.1847 मिलियन ईकाई) का विद्युत शुल्क से छूट की अनुमति दी गयी थी। कर निर्धारण आदेश के साथ वार्षिक लेखे एवं अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दाखिल अन्य संबंधित रिटर्न की जाँच के दौरान हमने पाया कि व्यवसायी ने अपने रिटर्न में विद्युत शुल्क से छूट का लाभ विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं से निर्धारित प्रतिशतता के आधार पर लिया था जबकि उपरोक्त उपभोक्ताओं की श्रेणी को बेची गयी वास्तविक ऊर्जा जिन्हें उपरोक्त अधिनियम में छूट का प्रावधान किया गया था, के आधार पर लेना था। विद्युत शुल्क अधिनियम अथवा उसके तहत बने नियमों के तहत निर्धारित प्रतिशतता के आधार पर छूट प्रदान किए

जाने की ऐसे कोई प्रावधान के बगैर ही निर्धारण प्राधिकारी ने छूट की अनुमति दी। इस प्रकार निर्धारित प्रतिशतता के आधार पर उपभोक्ताओं की श्रेणी, जैसा कि रिटर्न के प्रारूप में अपेक्षित है, को वास्तविक बिक्री का विवरण प्राप्त किए बगैर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा छूट प्रदान किया जाना अनियमित था तथा इसलिए अनुमान्य नहीं है।

ऐसी छूट पर विद्युत शुल्क की सन्निहित राशि ₹ 148.34 करोड़³⁸ संगणित की गयी।

मामला सरकार को जुलाई 2013 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर हम हेतु प्रतीक्षित हैं (नवम्बर 2013)।

³⁸

₹ 24,23,19,39,850 (4879.0707 मिलियन किलोवाट) पर 6 प्रतिशत की दर से आरोप्य विद्युत शुल्क—₹ 1,45,39,16,391 (सिंचाई के अलावे उपयोग किए गए उर्जा के मूल्य पर);
₹ 66,10,05,600 (738.114 मिलियन किलोवाट) पर 4 पैसे प्रति ईकाई के दर पर विद्युत शुल्क—
₹ 2,95,24,560 (सिंचाई के उद्देश्य से उपयोग किया गया);
कुल— (₹ 1,45,39,16,391 + ₹ 2,95,24,560) = ₹ 1,48,34,40,951।